राजस्थान सरकार

# वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
# 2012–13

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

*उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान*

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2012–13

अनुक्रमणिका


| क्रम संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सामान्य परिचय | 3 |
| 2 | महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबन्धन | 3 |
| 3 | महाविद्यालयों की संख्या | 4 |
| 4 | मानव संसाधन | 5 |
| 5 | वित्तीय प्रबन्धन | 6 |
| 6 | विद्यार्थियों का नामांकन | 7 |
| 7 | महिला शिक्षा | 9 |
| 8 | जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग | 10 |
| 9 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विशेष पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं | 12 |
| 10 | छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन योजनाएं | 13 |
| 11 | सत्र 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ | 14 |
| 12 | नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ, वेतनमान, प्रशिक्षण तथा शोध | 16 |
| 13 | उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास | 17 |
| 14 | प्रभावी प्रबन्धन | 18 |
| 15 | चुनौतियाँ एवं भावी योजनाएं | 19 |
| 16 | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय | 20 |
| 17 | शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालय | 21 |
| 18 | एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर | 22 |
| 19 | राष्ट्रीय सेवा योजना | 25 |
| 20 | राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड | 29 |
| 21 | राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी | 33 |
| 22 | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर | 36 |
| 23 | जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर | 38 |
| 24 | मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर | 40 |
| 25 | महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर | 42 |
| 26 | कोटा विश्वविद्यालय, कोटा | 43 |
| 27 | महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | 45 |
| 28 | वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा | 47 |
| 29 | राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर | 49 |
| 30 | परिशिष्टः– | |
| | 1 राज्य के विश्वविद्यालयों व विश्वविद्यालयवत संस्थाओं की सूची | 52 |
| | 2 महाविद्यालयों की विश्वविद्यालय एवं जिलेवार सूची | 54 |
| | 3 महाविद्यालयों की जिलेवार संख्या एवं विद्यार्थी नामांकन | 85 |
| | 4 जिलेवार महाविद्यालयों की संख्या | 87 |
| | 5 जिलों में श्रेणीवार विद्यार्थी नामांकन | 88 |

## सामान्य परिचय

उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान में सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का प्रबन्धन करता है । देश की आजादी के समय राज्य में मात्र 7 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय थे परन्तु पिछले छः दशकों बाद अब यह संख्या एक सहस्र का अंक पार कर चुकी है ।

राजस्थान में उच्च शिक्षा के तीव्र गति से हुए प्रसार के फलस्वरूप आज प्रदेश में सामान्य शिक्षा के कुल 1527 महाविद्यालय हैं जिनमें से 129 राजकीय महाविद्यालय, 15 राजकीय विधि महाविद्यालय, 1373 निजी महाविद्यालय, 7 स्ववित्तपोषी संस्थाएँ तथा 3 राजकीय व निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं। हाल ही में विभाग के कार्य क्षेत्र में आए शिक्षक–प्रशिक्षक महाविद्यालय की संख्या 788 है। राज्य में राजकीय क्षेत्र में 22 राज्यवित्तपोषित विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 विश्वविद्यालय तथा 8 विश्वविद्यालयवत संस्थाएं हैं जिनमें से क्रमशः 15, 33 व 5 उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं। राज्य की उच्च शिक्षा संस्थाओं में लगभग 12 लाख नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थी नामांकित हैं।

## महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबन्धन

- राज्य में उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार संबंधी कार्यों को सम्पादित करने का उत्तरदायित्व निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर का है। वर्तमान में निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। निदेशक कार्यालय जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल के चतुर्थ ब्लाक में अवस्थित है।
- राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के प्रशासनिक, शैक्षणिक, सहशैक्षणिक विकास एवं वित्तीय कार्यों का प्रशासनिक नियन्त्रण करने हेतु निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के अतिरिक्त 6 क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं जयपुर में संचालित हैं।
- निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के नियन्त्रण में संचालित संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट –1 पर उपलब्ध है।
- राज्य में **सामान्य उच्च शिक्षा** उपलब्ध कराने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार हैः–

| | |
|---|---|
| विश्वविद्यालय | 15$^{\neq}$ |
| विश्वविद्यालयवत संस्थाएँ (डीम्ड यूनिवर्सिटी) | 5 |
| निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय | 33 |
| राजकीय महाविद्यालय | 144 |
| गैर अनुदानित व अन्य महाविद्यालय | 1383 |
| शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय | 788 |

($\neq$ 2012–13 में स्थापित 7 नवीन विश्वविद्यालयों सहित, इनमें 7 विश्वविद्यालय, जो उच्चशिक्षा विभाग से संबन्धित नहीं हैं, शामिल नहीं हैं, सम्पूर्ण सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध )

## महाविद्यालयों की संख्या

- निदेशालय के नियंत्रण में तालिका–1 के अनुसार 1527 उच्च शैक्षणिक संस्थायें हैं ।

### तालिका–1 राजस्थान में सामान्य उच्चशिक्षा के महाविद्यालय (वर्ष 2012–13)

| क्रम संख्या | संस्थाएं | महाविद्यालय | | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | | सहशिक्षा | महिला | |
| 1. | राजकीय महाविद्यालय | 94 | 35 | 129 |
| | राजकीय विधि महाविद्यालय | 15 | 0 | 15 |
| 2 | सामान्य शिक्षा के निजी महाविद्यालय | 900 | 429 | 1329 |
| | निजी विधि महाविद्यालय | 42 | 2 | 44 |
| 3 | स्ववित्तपोषी योजना के महाविद्यालय | 6 | 1 | 7 |
| 4 | राजकीय व निजी सहभागिता महाविद्यालय (पी.पी.पी.) | 1 | 2 | 3 |
| | **योग** | **1058** | **469** | **1527** |

तालिका –2

### महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

| वर्ष | राजकीय | निजी | योग |
|---|---|---|---|
| 2000–2001 | – | 6 | 6 |
| 2001–2002 | – | 14 | 14 |
| 2002–2003 | – | 42 | 42 |
| 2003–2004 | – | 175 | 175 |
| 2004–2005 | 3 | 228 | 231 |
| 2005–2006 | – | 115 | 115 |
| 2006–2007 | 3 | 160 | 163 |
| 2007–2008 | 3 | 107 | 110 |
| 2008–2009 | 4 | 98 | 102 |
| 2009–2010 | 0 | 112 | 112 |
| 2010–11 | 1≠ | 281 | 281 |
| 2011–12 | | 143+ | 143 |
| 2012–13 | 2 | 113 | 115 |

≠ नेहरु मेमोरियल कॉलेज अनुदानित से राजकीय
+ नेट वृद्धि 110

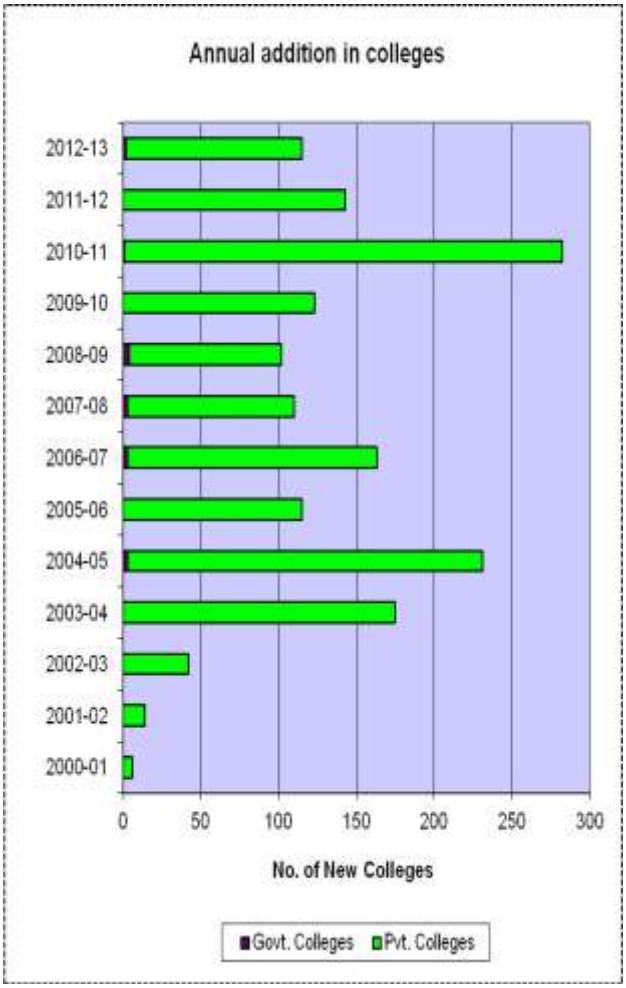

## मानव संसाधन

➢ विभाग में स्वीकृत मानव विकास संसाधन का विवरण तालिका 3 एवं 4 में उपलब्ध है :–

- निर्देशन एवं प्रशासन (कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर एवं 6 क्षेत्रीय कार्यालय)

**तालिका–3**

| क्रम सं. | पद | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | निदेशक | 1 |
| 2 | निदेशक (अकादमिक) | 1 |
| 3 | अतिरिक्त निदेशक[1] | 1 |
| 4 | संयुक्त निदेशक | 4 |
| 5 | उपनिदेशक | 3 |
| 6 | समन्वयक (एन.एस.एस.) | 1 |
| 7 | उपविधि परामर्शी | 1 |
| 8 | वित्तीय सलाहकार | 1 |
| 9 | वरिष्ठ लेखाधिकारी | 1 |
| 10 | निजी सचिव | 1 |
| 11 | सहायक निदेशक | 11 |
| 12 | व्याख्याता | 10 |
| 13 | सहायक लेखाधिकारी | 4 |
| 14 | वरिष्ठ विधि अधिकारी | 1 |
| 15 | वरिष्ठ निजी सहायक | 4 |
| 1 एक संयुक्त निदेशक पद को क्रमोन्नत कर | | |

| क्रम सं. | पद | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 16 | कार्यालय अधीक्षक | 4 |
| 17 | निजी सहायक | 2 |
| 18 | एनेलिस्ट–कम–प्रोग्रामर ( उपनिदेशक) | 1 |
| 19 | लेखाकार | 2 |
| 20 | शीघ्रलिपिक | 4 |
| 21 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 1 |
| 22 | कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक | 38 |
| 23 | कनिष्ठ लेखाकार | 7 |
| 24 | एसिस्टेन्ट प्रोग्रामर | 1 |
| 25 | कनिष्ठ लिपिक | 30 |
| 26 | वाहन चालक | 3 |
| 27 | मशीन मैन | 2 |
| 28 | जमादार | 1 |
| 29 | दफ्तरी | 2 |
| 30 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 29 |
| | **योग** | **172** |

- राजकीय महाविद्यालय

**तालिका–4**

| पद | स्वीकृत पदों की संख्या |
|---|---|
| **(अ) शैक्षणिक स्टॉफ (राजपत्रित)** | |
| प्राचार्य | 144 |
| उपाचार्य | 129 |
| व्याख्याता | 5464≠ |
| पी.टी.आई. | 109 |
| पुस्तकालयाध्यक्ष | 108 |
| **(ब) अशैक्षणिक स्टाफ** | **2914** |
| **योग** | **8868** |

≠ राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 हेतु सृजित 70 छाया पदों सहित

# वित्तीय प्रबन्धन

**वित्तीय प्रबन्धः**

- उच्च शिक्षा विभाग में वित्त प्रबन्धन राज्य के आयोजना, आयोजना भिन्न, केन्द्र प्रवर्तित योजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विकास सहायता आदि के माध्यम से किया जाता है।

**तालिका–5: उच्च शिक्षा विभाग का ( राशि लाख रु. में )**

| क्र.सं. | मद | आयोजना | आयोजना भिन्न | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | निदेशालय | 15.00 | 1004.33 | 1019.33 |
| 2 | महाविद्यालय–पुरुष | 589.53 | 48509.92 | 49099.45 |
| 3 | महाविद्यालय–महिला | 280.00 | 11007.35 | 11287.35 |
| 4 | महाविद्यालय–टी.ए.डी. | 182.15 | 3266.30 | 3448.45 |
| 5 | सेन्टर्स फॉर एक्सिलेन्स | 30.00 | | 30.00 |
| 6 | अनुदानित महाविद्यालय | | 1500.00 | 1500.00 |
| 7 | छात्रवृत्तियाँ | 20.00 | 3.00 | 23.00 |
| 8 | महाविद्यालय–अनुसूचित जातियों के लिए (मय बुक बैंक) | 232.00 | | 232.00 |
| 9 | मुख्यमंत्री उच्चशिक्षाछात्रवृत्ति योजना | 2338.17 | | 2338.17 |
| 10 | महाविद्यालय भवन | 1457.00 | | 1457.00 |
| 11 | युवा विकास | 63.00 | | 63.00 |
| 12 | विधि महाविद्यालय | 15.06 | 9.13 | 24.19 |
| 13 | राष्ट्रीय सेवा योजना–राज्य | 200.00 | | 200.00 |
| 14 | सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन | 50.00 | | 50.00 |
| 15 | निजी सहभागिता के नवीन महाविद्यालय | 130.00 | | 130.00 |
| | **योग** | **5601.91** | **65300.03** | **70901.21** |
| 16 | राष्ट्रीय सेवा योजना–सी.एस.एस. | 280.00 | 0.00 | |
| | **महायोग** | **5881.91** | **65300.03** | **70901.21** |

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के सेक्शन 2(एफ) व 12(बी) के अन्तर्गत राज्य के 95 राजकीय महाविद्यालय पंजीकृत हैं। इन राजकीय महाविद्यालयों में से 92 राजकीय महाविद्यालयों को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विभिन्न योजनाओं में 40.74 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग पुस्तक व उपकरणों के क्रय तथा भवन निर्माण व नवीनीकरण आदि के लिए किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध कार्य हेतु व्याख्याताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों के 330 व्याख्याताओं को लघुशोध योजना एवं 10 व्याख्याताओं को वृहत्शोध योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- महाविद्यालय जनप्रतिनिधियों, दानदाताओं व अन्य राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत भी विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त कर अपने संसाधनों व सुविधाओं का विकास करते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं जैसे – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आई.सी.एम.आर, आई.सी.एस.एस.आर. आदि से शोध कार्य हेतु महाविद्यालयों/संकाय सदस्यों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

## विद्यार्थियों का नामांकन

➢ राज्य में संचालित उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 2012–13 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का नामांकन विवरण तालिका–6 पर उपलब्ध है।

**तालिका–6: वर्ष 2012–13 में सामान्य शिक्षा में नामांकन की स्थिति≠**

(विश्वविद्यालय के विभागों व संघटक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयवत संस्थाओं, तकनीकी, बी.एड. और संस्कृत शिक्षा को छोड़कर)

| विवरण | राजकीय महाविद्यालय | निजी महाविद्यालय | कुल | प्रतिशत वृद्धि≠ |
|---|---|---|---|---|
| **सामान्य वर्ग** | | | | |
| छात्र | 29911 | 36663 | 66574 | –2.41 |
| छात्रायें | 34984 | 40975 | 75959 | –0.12 |
| योग | 64895 | 77638 | 142533 | –1.20 |
| **अनुसूचित जाति** | | | | |
| छात्र | 36898 | 16889 | 53787 | 11.35 |
| छात्रायें | 18743 | 14598 | 33341 | 15.81 |
| योग | 55641 | 31487 | 87128 | 13.02 |
| **अनुसूचित जनजाति** | | | | |
| छात्र | 27003 | 18924 | 45927 | 17.39 |
| छात्रायें | 15712 | 14957 | 30669 | 30.16 |
| योग | 42715 | 33881 | 76596 | 22.19 |
| **अन्य व विशेष पिछड़ा वर्ग** | | | | |
| छात्र | 74470 | 51191 | 125661 | 4.12 |
| छात्रायें | 40363 | 59647 | 100010 | 8.44 |
| योग | 114833 | 110838 | 225671 | 5.99 |
| **अल्पसंख्यक वर्ग** | | | | |
| छात्र | 3398 | 4703 | 8101 | 16.09 |
| छात्रायें | 2431 | 3782 | 6213 | 15.94 |
| योग | 5829 | 8485 | 14314 | 16.02 |
| **कुल नामांकन** | | | | |
| छात्र | 171680 | 128370 | 300050 | 5.91 |
| छात्रायें | 112233 | 133959 | 246192 | 8.94 |
| **योग** | **283913** | **262329** | **546242** | **7.25** |

(≠ शैक्षणिक सत्र 2011–12 के मुकाबले वृद्धि, उपर्युक्त आंकड़े सामान्य शिक्षा के 596 महाविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं)

- उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2011–12 के मुकाबले 2012–2013 में विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों की प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार रहीः–

| | वर्ग | छात्र | छात्राएं | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सामान्य वर्ग | –2.41 | –0.12 | –1.20 |
| 2 | अनुसूचित जाति | 11.35 | 15.81 | 13.02 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति | 17.39 | 30.16 | 22.19 |
| 4 | अन्य व विशेष पिछड़ा वर्ग | 4.12 | 8.44 | 5.99 |
| 5 | अल्पसंख्यक वर्ग | 16.09 | 15.94 | 16.02 |
| | **कुल नामांकन** | **5.91** | **8.94** | **7.25** |

## तालिका–7: नामांकन में प्रतिशत वृद्धि

| वर्ष | छात्र | | छात्रायें | | कुल नामांकन (लाखों में) | प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नामांकन (लाखों में) | प्रतिशत वृद्धि | नामांकन (लाखों में) | प्रतिशत वृद्धि | | |
| 2005–2006 | 2.01 | 1.23 | 1.26 | 11.08 | 3.27 | 4.82 |
| 2006–2007 | 2.23 | 11.07 | 1.42 | 12.60 | 3.65 | 11.66 |
| 2007–2008 | 2.30 | 3.05 | 1.49 | 5.07 | 3.79 | 3.83 |
| 2008–2009 | 2.29 | –0.20 | 1.63 | 9.64 | 3.93 | 3.67 |
| 2009–2010 | 2.50 | 9.05 | 1.71 | 7.25 | 4.21 | 7.25 |
| 2010–2011 | 2.53 | 1.11 | 1.86 | 9.08 | 4.40 | 4.35 |
| 2011–2012 | 2.83 | 11.86 | 2.26 | 20.85 | 5.09 | 15.68 |
| 2012–2013 | 3.00 | 5.91 | 2.46 | 8.94 | 5.46 | 7.25 |

## तालिका–8 संकायवार नामांकन 2012–13

| संकाय | कुल नामांकन 2012–13 | | | संकायवार प्रतिशत नामांकन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्राएँ | योग | छात्र | छात्राएँ | योग |
| कला | 185423 | 174249 | 359672 | 33.95 | 31.90 | 65.84 |
| विज्ञान | 36497 | 29610 | 66107 | 6.68 | 5.42 | 12.10 |
| गृह विज्ञान | 4 | 544 | 548 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| वाणिज्य | 62361 | 34562 | 96923 | 11.42 | 6.33 | 17.74 |
| विधि | 4524 | 1513 | 6037 | 0.83 | 0.28 | 1.11 |
| कृषि | 901 | 263 | 1164 | 0.16 | 0.05 | 0.21 |
| डिप्लोमा | 10340 | 5451 | 15791 | 1.89 | 1.00 | 2.89 |
| **योग** | **300050** | **246192** | **546242** | **54.93** | **45.07** | **100.00** |

## तालिका–9 विश्वविद्यालयवार सम्बद्ध सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय 2012–13≠

| क्रम सं. | सम्बद्धक विश्वविद्यालय | छात्र / सहशिक्षा | छात्राएँ | कुल | जिला / क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर | 509 | 277 | **786** | जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, एवं धौलपुर |
| 2 | मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर | 118 | 28 | **146** | उदयपुर, डूँगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, एवं सिरोही |
| 3 | जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर | 74 | 26 | **100** | बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली एवं जोधपुर |
| 4 | महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर | 113 | 41 | **154** | अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, |
| 5 | महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | 155 | 74 | **229** | बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ |
| 6 | कोटा विश्वविद्यालय, कोटा | 89 | 23 | **112** | कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, करौली एवं सवाईमाधोपुर |
| | **योग** | **1058** | **469** | **1527** | |

(≠ परिशिष्ट–2 के अनुसार)

# महिला शिक्षा

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं।
- महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 1997–98 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या 0.60 लाख तथा वर्ष 2003–04 में 1.03 लाख थी जो 2012–13 में बढ़कर 2.46 लाख हो गई है।
- वर्ष 1997–98 में राज्य में महिला महाविद्यालयों की संख्या 100 थी जो वर्ष 2003–04 में 183 तथा वर्ष 2012–13 में बढ़कर 469 हो गई है।
- राज्य में इस समय 2 विश्वविद्यालयवत संस्थाएं तथा एक निजी विश्वविद्यालय महिलाओं हेतु संचालित है।
- महिला महाविद्यालयों में छात्राओं को स्थान रिक्त होने पर न्यूनतम प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। महिलाएं महिला महाविद्यालयों के अलावा सहशिक्षा महाविद्यालयों में भी प्रवेश लेने हेतु स्वतंत्र हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की उन छात्राओं को जिनके माता–पिता आयकर नहीं देते हैं, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पुस्तक बैंक योजना का विस्तार किया गया है।
- सत्र 2010–11 से प्रवेश नियमों में परिवर्तन कर महिलाओं को ऐसे स्थानों पर सहशिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर भी छूट दी गई जहां महिला और सहशिक्षा दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में उनके चुनाव का विषय उपलब्ध हो।
- जारी दशक में राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है जो तालिका 10 से स्पष्ट होती है। सत्र 2000–01 में जहाँ सौ छात्रों पर 54 छात्रायें अध्ययनरत थीं वहीं सत्र 2012–13 में यह संख्या 82 हो गई है जो अब तक का अधिकतम है।

**तालिका–10: प्रति सौ छात्रों पर छात्राओं की संख्या**

| अकादमिक वर्ष | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अ. व वि. पिछड़ा वर्ग | अल्पसंख्यक वर्ग | सम्मिलित |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–05 | 101 | 29 | 25 | 42 | 96 | 57 |
| 2005–06 | 112 | 33 | 30 | 49 | 100 | 63 |
| 2006–07 | 112 | 37 | 32 | 52 | 78 | 64 |
| 2007–08 | 111 | 38 | 36 | 53 | 87 | 65 |
| 2008–09 | 117 | 44 | 42 | 64 | 85 | 71 |
| 2009–10 | 101 | 45 | 42 | 63 | 88 | 68 |
| 2010–11 | 109 | 50 | 51 | 69 | 85 | 74 |
| 2011–12 | 111 | 60 | 60 | 76 | 77 | 80 |
| 2012–13 | 114 | 62 | 67 | 80 | 77 | 82 |

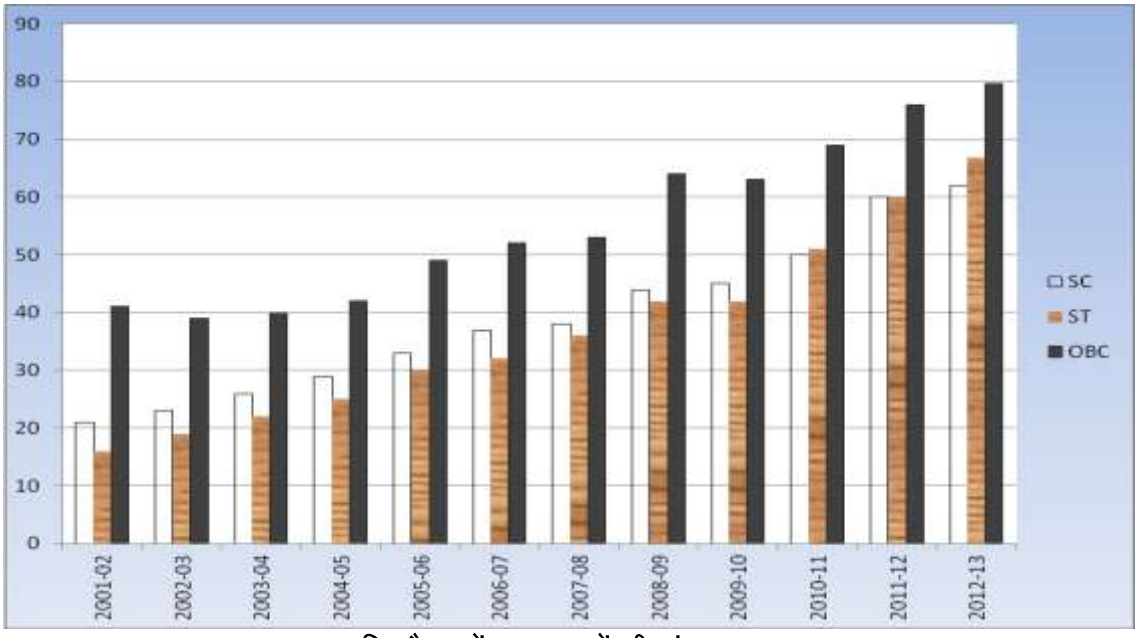


प्रति सौ छात्रों पर छात्राओं की संख्या

## जैण्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप राज्य में महिला उच्च शिक्षा में विगत कुछ वर्षों में उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई है। सामान्य वर्ग में छात्रों की तुलना में छात्राओं के नामांकन की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

**तालिका–11**

**कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, आयोजना मद का जेन्डर बजट (2012–13)**

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. सं. | मद | पुरुष व सहशिक्षा महाविद्यालय | महिला महाविद्यालय | योग | कन्या महाविद्यालयों पर व्यय बजट का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निदेशन एवं प्रशासन | 9.00 | 6.00 | 15.00 | 40.00 |
| 2 | नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करना | 695.68 | 500.00 | 1195.68 | 41.82 |
| 3 | महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करना | 38.00 | 30.00 | 68.00 | 44.12 |
| 4 | राष्ट्रीय सेवा योजना | 130.00 | 70.00 | 200.00 | 35.00 |
| 5 | पुस्तक बैंक योजना | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
| 6 | सेन्टर फॉर एक्सिलेन्स | 18.00 | 12.00 | 30.00 | 40.00 |
| 7 | विधि महाविद्यालय | 9.00 | 6.06 | 15.06 | 40.24 |
| 8 | छात्रवृत्तियाँ | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
| 9 | युवा विकास केन्द्रों की स्थापना | 33.00 | 30.00 | 63.00 | 47.62 |
| 10 | सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 40.00 |
| 11 | भवन | 967.00 | 490.00 | 1457.00 | 33.63 |
| 12 | मुख्यमंत्री उच्चशिक्षाछात्रवृत्ति योजना | 1338.00 | 1000.17 | 2338.17 | 42.78 |
| 13 | निजी सहभागिता के नवीन महाविद्यालय | 75.00 | 55.00 | 130.00 | 42.31 |
| | **योग** | **3362.68** | **2239.23** | **5601.91** | **39.97** |
| **देव नारायण योजना अन्तर्गत** | | | | | |
| 14 | स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 100.00 |

## तालिका–12

### कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, आयोजना भिन्न मद का जेन्डर बजट (2012–13)

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. सं. | मद | कुल बजट (संशोधित अनुमान) | पुरुषों पर व्यय संभावित | महिलाओं पर व्यय संभावित | महिलाओं पर व्यय बजट का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संवेतन | 63265.84 | 34796.21 | 28469.63 | 45.00 |
| 2 | यात्रा–व्यय | 25.01 | 13.76 | 11.25 | 44.98 |
| 3 | चिकित्सा व्यय | 67.52 | 37.14 | 30.38 | 44.99 |
| 4 | कार्यालय –व्यय | 256.53 | 137.50 | 119.03 | 46.40 |
| 5 | वाहन संधारण | 2.00 | 1.10 | 0.90 | 45.00 |
| 6 | वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाओं पर व्यय | 15.00 | 8.25 | 6.75 | 45.00 |
| 7 | किराया कर एवं रायल्टी | 3.08 | 1.69 | 1.39 | 45.13 |
| 8 | लघु निर्माण कार्य | 1.00 | 0.55 | 0.45 | 45.00 |
| 9 | एम.ई.टी.पी. | 0.45 | 0.25 | 0.20 | 44.44 |
| 10 | कार्यकलाप संबन्धी वाहनों का संधारण | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 45.00 |
| 11 | सामग्री एवं आपूर्ति | 0.56 | 0.31 | 0.25 | 44.64 |
| 12 | मीटिंग एवं कॉन्फ्रेन्स | 0.50 | 0.28 | 0.22 | 44.00 |
| 13 | पुस्तकालय | 39.81 | 21.90 | 17.91 | 44.99 |
| 14 | प्रयोगशाला | 44.00 | 24.20 | 19.80 | 45.00 |
| 15 | विभाग की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय | 62.82 | 34.55 | 28.27 | 45.00 |
| 16 | वर्दियों पर व्यय | 12.71 | 6.99 | 5.72 | 45.00 |
| | **योग** | **63797.03** | **35084.79** | **28712.24** | **45.01** |

### छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान (राशि लाख रुपये में)

| क्र. सं. | मद | कुल बजट | पुरुषों पर व्यय संभावित | महिलाओं पर व्यय संभावित | महिलाओं पर व्यय बजट का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छात्रवृत्ति एवं वजीफा | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 50.00 |
| 2 | अनुदान | 1500.00 | 825.00 | 675.00 | 45.00 |
| | **योग** | **1503.00** | **826.50** | **676.50** | **45.01** |

## अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विशेष पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं

- उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं विशेष पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 16,12, 21 एवं 1 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है।
- राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी क्षेत्र की उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में चालू शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या एवं उनका प्रतिशत निम्नानुसार हैः–

**तालिका–13: अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन (2012–13)**

| क्रम सं. | श्रेणी | प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रतिशत | विद्यार्थी नामांकन | कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत | नामांकन में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति | 16 | 87128 | 15.95 | 13.02 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 12 | 76596 | 14.02 | 22.19 |
| 3 | अन्य व विशेष पिछड़ा वर्ग | 22 | 225671 | 41.31 | 5.99 |
| 4 | अल्पसंख्यक वर्ग | | 14314 | 2.62 | 16.02 |

- महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता में रियायत दी जाती है ।
- महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को महाविद्यालय स्तर पर लिये जाने वाले स्थानीय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ की गई। योजना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत से उत्तीर्ण होकर राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली उच्चतम अंक प्राप्त प्रथम 1000 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण करने का प्रावधान वर्ष 2012–13 के लिए रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत 2011–12 की शेष पात्र आवेदक 113 छात्राओं तथा 2012–13 की 1000 पात्र छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत कर सूची जारी कर दी गई है। वितरण की कार्यवाही जारी है।
- राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में अध्ययनरत रहने पर स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष में रुपए दस–दस हजार वार्षिक तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में बीस–बीस हजार वार्षिक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया।
- उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार के लिए जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लगभग 70 महाविद्यालय संचालित हैं। इस क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2012–13 में 15 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत थे।
- अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्तियाँ का प्रावधान है।

## छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं

- राजकीय / गैर अनुदानित महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- निदेशालय / आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष 2012–13 में एक नवीन छात्रवृति प्रारम्भ की गई। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना नामक इस छात्रवृति में राजस्थान के नियमित विद्यार्थियों को जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रू. वार्षिक से कम हो तथा जो अन्य कोई छात्रवृति प्राप्त न कर रहे हों तो इस योजना में 500/– मासिक की दर से वार्षिक 5000/– रू. छात्रवृति देय होगी। पात्र विद्यार्थी इस छात्रवृति का लाभ 5 वर्ष तक ले सकते हैं तथा इसके लिए वरीयता के आधार पर 1 लाख अवार्ड निर्धारित किये गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 में निदेशालय स्तर पर देय छात्रवृतियों हेतु आवंटित राशि तथा 11 फरवरी 2013 माह तक लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या तालिका–14 में दर्शाई गई है।

**तालिका–14**

| क्र.सं. | छात्रवृत्ति/योजना का नाम | आवंटित बजट (राशि लाख रुपये में) | लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति | 0.45 | 5 |
| 2 | कारगिल शहीदों के आश्रितों को छात्रवृत्ति | 0.49 | |
| 3 | ललित कला छात्रवृत्ति (संगीत संस्थान व स्कूल ऑफ आर्ट्स के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति) | 0.05 | 1 |
| 4 | मिलिट्री कॉलेज, देहरादून के छात्रों को छात्रवृत्ति | 0.30 | |
| 5 | स्वतंत्रता सेनानियों के पौत्र–पौत्रियों को देय छात्रवृत्ति | 0.01 | |
| 6 | शोध छात्रवृत्ति | 0.70 | |
| 7 | पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति | 50.00 | 17 |
| 8 | उर्दू विषय के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति | 50.00 | 34 |
| 9 | महिला योग्यता छात्रवृत्ति | 35.00 | |
| 10 | आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति | 35.00 | |
| 11 | देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण | 480.00 | 1113 |
| | देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि–स्नातक | | 45 |
| | देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि–स्नातकोत्तर | | 4 |
| 12 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना | 5000.00 | 35206 |
| | **योग** | **5652.00** | **36425** |

- राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उर्दू छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण एवं उर्दू विषय में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक मुश्त 1800/– रु. की छात्रवृति दी जाती है।

# सत्र 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

**विश्वविद्यालयों की स्थापनाः–**

- राज्य सरकार द्वारा सात नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये सात विश्वविद्यालयों राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उदयपुर, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जयपुर, सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय, जोधपुर व डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर हैं।
- राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार में निजी सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के प्रयास से वर्ष 2012–13 में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्भव हो सकी है।
- फरवरी 2012 तक 21 संस्थाओं को निजी विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने के क्रम में आशय पत्र जारी किए गए।

**सत्र 2012–13 में नवीन महाविद्यालय, क्रमोन्नयन एवं नवीन विषय प्रारम्भ**

- राज्य सरकार द्वारा देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु वर्ष 2012–13 से नादौती में सह–शिक्षा तथा बयाना में महिला महाविद्यालय प्रारम्भ किए गए।
- राजकीय महाविद्यायों में स्नातक स्तर पर 10 नवीन विषय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 नवीन विषय प्रारम्भ किये गये।
- 5 राजकीय महाविद्यालयों (राजसमन्द, खैरवाड़ा, लालसोट, गंगापुरसिटी व केकड़ी) को स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया।
- वर्ष 2012–13 में 5 राजकीय महाविद्यालयों में बी.एड पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की गई (कालाडेरा, नसीराबाद, भोपालगढ़, चिमनपुरा, खैरवाड़ा) इन महाविद्यालें में 5 उपाचार्य, 35 व्याख्याता, 1 पी.टी.आई., 1 पुस्तकालयाध्यक्ष एवं 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नवीन पदों का सृजन किया गया।
- प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर महिला महाविद्यालय खोलने हेतु निजी सहभागिता योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं तथा निजी सहभागिता की चयन कर महाविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की गई। राज्य सरकार की ओर से महाविद्यालय की भूमि एवं भवन की व्यवस्था हेतु कुल दो करोड़ रुपये की राशि का सहयोग प्रदान किया जावेगा।
- राज्य की 18 ऐसी तहसीलों, जहां कोई महाविद्यालय स्थापित नहीं है, में जन सहभागिता योजना के तहत महाविद्यालय खोलने हेतु शैक्षणिक संस्था संचालन का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को कॉलेज प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए तथा 13 तहसीलों में महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावक संस्थाओं का चयन किया गया। राज्य सरकार द्वारा इन तहसीलों में महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक स्थान पर 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायेंगे।

**सीटों व वर्गों में वृद्धि**

- राज्य सरकार द्वारा अकादमी सत्र 2012–13 में छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप 110 नये वर्ग ( 69 कला, 19 वाणिज्य, 22 जीव–विज्ञान तथा 6 गणित) आंवटित किये गये जिससे कुल 8420 विद्यार्थियों को लाभ मिला।

**युवा विकास केन्द्रः**

- युवाओं के विकास व उन्हें रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इस कार्य हेतु 135 राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र स्थापित करने तथा इसकी गतिविधियां संचालित करने हेतु कुल 63 लाख रु. का बजट आवंटित किया गया। इन केन्द्रों में अंतिम वर्ष स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 20 घन्टे का आवश्यक पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में करिकुलम विटी तैयार करने, विद्यार्थियों को नियोक्ताओं की अपेक्षाओं, साक्षात्कार के समय ध्यान रखने योग्य तथ्यों, सामान्य वार्तालाप के व्यवहार से अवगत करवाने, प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं, सॉफ्ट स्किल्स, एन्गर मैनेजमेन्ट, टाइम मैनेजमेन्ट, स्ट्रैस मैनेजमेन्ट, स्वरोजगार व फ्रीलान्स कैरियर, जैसे उपयोगी विषय युवा विकास हेतु शामिल किए गए हैं। पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए स्वयं को तैयार करने में सहायता मिलेगी। साथ ही ये केन्द्र युवाओं को

अन्य मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इस के अतिरिक्त ये केन्द्र विद्यार्थियों को कैरियर गाइडेन्स हेतु विभिन्न रिक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, भावी अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करवा रहे हैं साथ ही प्लेसमेन्ट सम्बन्धी गतिविधियाँ भी संचालित कर रहे हैं।

**ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एवं आई. सी.टी सम्बन्धी पहल**

- उपयोगकर्त्ताओं की सुविधा हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग की एक वेबसाइट है जिसे सतत रूप से अद्यतन किया जाता है तथा इसका पता हैः–

http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in

- निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा वितरित की जा रही सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र व नियम (हिन्दी में) विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पिछले तीन वर्षों से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा एक नई डायनेमिक वेबसाइट भी विकसित करवाई जा रही है जिसमें सभी राजकीय महाविद्यालयों की सूचना देने वाले वेब पृष्ठ भी होंगे। भविष्य में विभाग से सम्बंधित वेब एप्लीकेशन भी इसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेंगी। छात्रवृति वितरण, विद्यार्थियों को प्रवेश देने, अनापत्ति प्रमाण ऑन लाईन जारी करने की वेब एप्लीकेशन्स विकसित की जा रही है जो शीघ्र ही तैयार हो जायेंगी।
- बजट 2012–13 में 142 राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा लैंग्वेज लैब विकसित करने घोषणा की गई। इस क्रम में पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का कार्य एन.आई.सी. के माध्यम से करवाया जायेगा तथा लैग्वेज लैब का कार्य तीन चरणों में पूर्ण किया जायेगा।

**छात्रसंघ चुनावः**

- प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2004–05 में छात्रसंघ चुनाव कराये गये थे लेकिन इसके पश्चात् विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों के सन्दर्भ में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराये जा सके थे। वर्ष 2010 में लम्बे अन्तराल के बाद लिंग्दोह समिति की अनुशंसा के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रसंघ चुनाव करवाए गए। सत्र 2012–13 में भी 18 अगस्त को छात्रसंघ चुनाव करवाए गए ।

**अन्य उपलब्धियाँ**

- राज्य के महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में नवीन उपकरण व रसायन क्रय करने हेतु 4 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इससे 61 राजकीय महाविद्यालय लाभान्वित हुए हैं।
- राजकीय महाविद्यालयों की मरम्मत, पुनर्निमाण एवं रखरखाव हेतु 6 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की बजट घोषणा की गई जिससे 40 महाविद्यालय लाभान्वित हुए हैं।
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के निर्देशानुसार समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ह्यूमन राईट्स क्लब बनाये जाने के निर्देश जारी किये गये जिससे विद्यार्थियों में मानवाधिकार के संरक्षण के सम्बंध में जागरूकता उत्पन्न हो सके।
- प्रवेश नीति में प्रतिरक्षा सेवाओं के पुत्र/पुत्री को प्रवेश हेतु देय आरक्षण, रियायतें एवं लाभ (प्रवेश नीति बिन्दु 6.4) को सत्र 2012–13 से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ) के कर्मियों के पुत्र/पुत्री को भी देय किया गया।
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन की सहायता से 10 महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल संबन्धी 13 पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।
- आमेट, राजसमन्द के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण 'श्री हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय' किया गया।
- पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से प्रदेश के 138 राजकीय महाविद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 2.00,1.50 व 1.00 हजार का पुरस्कार नियत कर इस हेतु रु. 6.18 लाख का बजट प्रावधान किसा गया।
- साहित्यकारों एवं लेखकों की पुस्तकें छपवाने के लिये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में राज्य सरकार द्वारा रुपये 1 करोड़ के रिवॉल्विंग फण्ड की स्थापना की गई।
- राज्य के विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में टॉपर रहने वाले एक हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाने के क्रम में रु. 216.06 लाख अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया गया है।

## नियुक्तियां, पदोन्नतियाँ, वेतनमान आदि

- मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को माह अप्रेल 2012 से फरवरी 2013 तक की अवधि में 10 अनुकम्पात्मक नियुक्तियां प्रदान की गईं (कनिष्ठ लिपिक–2, प्रयोगशाला सहायक–2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–6)।
- राजकीय महाविद्यालयों में 457 व्याख्याताओं के रिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। आयोग द्वारा 404 अभ्यर्थियों का चयन कर सूचियां उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित की गई जिनमें से 383 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्रदान कर दिये गये हैं।
- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत 4 प्राचार्यों, 695 व्याख्याताओं, 21 पुस्तकालयाध्यक्षों व 21 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को राजकीय महाविद्यालयों में समायोजित किया गया एवं अनुदानित कृषि महाविद्यालय के 19 व्याख्याताओं को भी समायोजित किया गया। इसी नियम के तहत अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 1 प्राचार्य, 1 उपाचार्य, 1 समन्वयक, 1 पुस्तकालयाध्यक्ष, 4 अनुदेशक, 1 पी.टी.आई. एवं 37 व्याख्याताओं को प्रस्तावित बी.एड महाविद्यालयों में बी.एड की सम्बद्धता सम्बंधी कार्य करने हेतु उपस्थिति देने के लिए निर्देशित किया गया।
- कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक व वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद की 2012–13 तथा वरिष्ठ लिपिक पद की वर्ष 2011–12 तक की डी.पी.सी. आयोजित की गई।
- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत विभिन्न संवर्ग के अशैक्षणिक कर्मचारियों के 883 कर्मचारियों ने निदेशालय में समायोजन हेतु उपस्थिति दी माह जनवरी, 2013 तक मृत्यु/सेवानिवृति के बाद 848 शेष रहें कर्मचारियों में से 294 कर्मचारियों के ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में तथा शेष 552 को अन्य ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय कार्यालयों में समायोजित करने हेतु भेजा गया तथा 2 प्रकरणों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## प्रशिक्षण तथा शोध

- जुलाई 12 से जनवरी 13 तक 508 व्याख्याताओं ने रिफ्रेशर कोर्स (पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) एवं 86 व्याख्याताओं ने ओरियन्टेशन कोर्स (अभिमुखी कार्यक्रम) पूर्ण किये हैं जिनकी सूचना निम्नानुसार है :–

| क्र.स | आयोजक संस्था का नाम | पाठ्यक्रमों की संख्या | लाभान्वित व्याख्याताओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर | 20 | 275 |
| 2 | ज.ना.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर | 12 | 206 |
| 3 | म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | 8 | 113 |
| 4 | राज्य के बाहर | 13 | 28 |
| | **योग** | **53** | **622** |

- अकादमिक सत्र 2012–13 में समस्त विषयों के 1371 व्याख्याताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यशालाओं/कान्फ्रेन्स/सेमीनार में प्रतिभागिता की।
- सत्र 2012–13 में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित 24 शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेने हेतु व्याख्याताओं को अकादमी अवकाश स्वीकृत किये गये।
- ग्यारहवीं योजना में राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 330 लघुशोध परियोजनाएं, 10 वृहत शोध परियोजनाएं तथा 225 टीचर रिसर्च फैलोशिप स्वीकृत की गईं। इस योजना में 24 व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च अवार्ड प्रदान किए गए। इन्डियन काउन्सिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च की ओर से 4 प्रत्याशियों का चयन पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप हेतु किया गया।

## उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास

### नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इन्फॉर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी

राज्य केन्द्र प्रायोजित सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में सक्रिय सहभागिता कर रहा है। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी क्रान्ति ने ज्ञान को सुलभ बनाया है। इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी हो सकता है। इस दृष्टि से मिशन का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थाओं को मिशन के प्रथम चरण में 10 लाइनों तक के असीमित डाउनलोड क्षमता के ब्रोडबैण्ड कनेक्शन मात्र 25 प्रतिशत शुल्क पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। शेष 75 प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा वहन की जा रही है। मिशन के अन्तर्गत राज्य के 38 निजी व राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, व विश्वविद्यालयवत संस्थाओं ने 1 जीबीपीएस के लिंक प्राप्त कर लिए हैं। अब तक राज्य के लगभग 1500 महाविद्यालयों ने इस मिशन में सहभागिता कर ली है जिनमें से 510 कॉलेज शिक्षा विभाग से संबन्धित हैं तथा इनमें 100 राजकीय महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं। राज्य के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को मिशन के तहत वाणिज्य स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए ई–कन्टेन्ट बनाने का दायित्व दिया गया है। इस योजना हेतु रु. 50.00 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।

### सम्प्रेषण कौशल व अंग्रेजी भाषा दक्षता

कॉलेज शिक्षा विभाग अमेरिकन एम्बेसी के रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस के सहयोग से ''इंग्लिश लैंग्वेज फैलो'' कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अंग्रेजी विषय के अध्यापन के उन्नयन हेतु एक कार्यक्रम सितम्बर 2012 से जुलाई 2013 तक संचालित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 मास्टर ट्रेनर को एक सप्ताह का प्रशिक्षण ''लिट्रेचर फॉर लैंग्वेज टीचिंग'' विषय पर दिया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर 6 वैबीनार आयोजित किये गये जिनमें प्रत्येक सेमीनार में लगभग 35 व्याख्याताओं ने प्रतिभागिता की । कार्यक्रम के आगामी चरणों में त्रिदिवसीय प्रशिक्षण, रिफ्लेक्टिव सेशन व सभी अंग्रेजी व्याख्याताओं के प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की योजना है।

### प्रत्यायन

- राज्य के 3 डीम्ड विश्वविद्यालय व 76 महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक), बैंगलौर द्वारा प्रत्यायित हैं। इनमें से 13 सामान्य शिक्षा के तथा 62 शिक्षक–प्रशिक्षक महाविद्यालय हैं। सभी प्रत्यायित महाविद्यालयों को ''इन्टरनल क्वालिटी एश्योरेन्स सैल'' (IQAC) संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ये सैल महाविद्यालय में गुणवत्ता बनाये रखने के कार्य को देखते हैं।
- राज्य के स्तर पर ''स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेन्स सैल'' (SLQAC) संचालित हैं।

### श्रेष्ठता के केन्द्र (मॉडल कॉलेज) :

- इस योजना के अन्तर्गत 22 राजकीय महाविद्यालयों को गुणात्मक विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना में महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी की पहचान करना तथा इस कमी को दूर करना, पूर्व विद्यार्थियों की संस्था का गठन करना, एलम्नाई का महाविद्यालय विकास में सहयोग प्राप्त करना, पुस्तकालय का आधुनिकीकरण करना, नवाचारों का प्रयोग, विद्यार्थियों को बेहतर लर्निंग एन्वारनमेंट उपलब्ध करवाना, संकाय सदस्यों के सामर्थ्य का विकास करना आदि हैं।

## प्रभावी प्रबन्धन

- निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रवेश नीति व शैक्षणिक सत्र सारिणी जारी की जाती है। यह नीति समस्त राजकीय महाविद्यालयों पर लागू होती है। इस नीति में प्रवेश सम्बन्धी नियम यथा प्रवेश हेतु योग्यता, आरक्षण कोटा, वार्षिक अकादमिक कलैण्डर आदि की विस्तृत जानकारी दी जाती है। शैक्षणिक सत्र सारिणी समस्त राजकीय व निजी महाविद्यालयों पर लागू होती है। इस नीति से प्रवेश नियमों में एकरूपता व पारदर्शिता बनी रहती है तथा प्रवेश सम्बन्धी विवाद भी नगण्य रहते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र में 180 शिक्षण दिवसों को सुनिश्चित करने की अनुशंसा की गई है। महाविद्यालयों में 180 शैक्षणिक दिवसों के लिये कलैण्डर जारी किया जाता है।
- राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में परीक्षाएं व प्रवेश नियमित रूप से तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। राज्य में परीक्षा के बहिष्कार की घटनाएं शून्य/नगण्य हैं।
- इन्टरनेट पर सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु विभाग की वेबसाइट है जिसका पता निम्नानुसार है–

  http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in
- विभागीय वेबसाइट को सतत व नियमित रूप से अद्यतन रखा जाता है ।
- राजस्थान के समस्त महाविद्यालयों में '**सूचना सैल**' गठित कर दिये गये हैं। वांछित सूचनाओं का संप्रेषण त्वरित गति से संभव करने के लिये समस्त महाविद्यालयों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

निदेशालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा महाविद्यालयों के सुचारू प्रबन्धन हेतु समय–समय पर उपयोगी निर्देश जारी किये जाते हैं । विभिन्न शाखाओं से महाविद्यालयों के लिए निम्नलिखित विषयों पर निर्देश व सुझाव जारी किये गये हैं:–

- विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने
- पुस्तकालयों के प्रभावी प्रबन्धन
- महाविद्यालयों में कम्प्यूटरीकरण व अध्ययन–अध्यापन में इन्टरनेट के उपयोग को बढ़ावा देने के संबन्ध में
- महाविद्यालयों में नवीन विषय उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में
- महाविद्यालयों के सामान्य व वित्तीय प्रबन्धन के विषय में
- यू.जी.सी. का सम्बन्धन प्राप्त करने व अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु
- वर्षा के जल का संग्रहण
- एन.सी.सी., रेन्जर रोवर तथा एन.एस.एस की गतिविधियां
- सहशैक्षणिक गतिविधियों के संचालन
- परिसर स्वच्छता, सौन्दर्यीकरण तथा वृक्षारोपण

निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक कलैण्डर जारी किया जाता है जिसमें महाविद्यालय से लेकर राज्य स्तर तक की गतिविधियों व प्रतियोगिताओं के आयोजन के सम्बन्ध में सभी राजकीय महाविद्यालयों को निर्देश जारी किये जाते हैं ।

### सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ

- महाविद्यालयों में उपलब्ध सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ व अन्य विद्यार्थी उपयोगी सेवाएं निम्नानुसार हैं:–
  - एन.सी.सी.
  - राष्ट्रीय सेवा योजना
  - रोवर स्काउटिंग
  - छात्र परामर्श परिषद्
  - युवा विकास केन्द्र
  - खेलकूद
  - महिला अध्ययन केन्द्र
  - पर्यावरण मंच / परिषदें
  - योजना मंच
  - विभिन्न शैक्षणिक परिषदें
  - सांस्कृतिक गतिविधियाँ
  - प्लेसमेन्ट सैल
  - सूचना प्रकोष्ठ
  - कम्प्यूटर–इन्टरनेट लैब

राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर में दी गई समय–सारणी के अनुसार विभिन्न प्रकार की सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं । इन गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु विभिन्न पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

## चुनौतियाँ एवं भावी योजनाएँ

- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा के अनुसार देश में 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। राज्य में कुल 55 विश्वविद्यालय तथा 8 विश्वविद्यालयवत संस्थाएं हैं। देश में 2020 तक उच्च शिक्षा में 30 प्रतिशत सकल नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इस दृष्टि से राज्य में उच्च शिक्षा का प्रसार को जारी रखने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2001 में राज्य में प्रतिलाख जनसंख्या पर सामान्य उच्चशिक्षा के 0.46 संस्थान थे तथा औसतन 1321 वर्ग किलोमीटर पर एक महाविद्यालय था। सकारात्मक प्रयासों से इस स्थिति में सतत सुधार हो रहा है तथा वर्तमान में प्रतिलाख जनसंख्या पर सामान्य उच्चशिक्षा के संस्थानों की संख्या औसतन 2.2 हो गई है तथा लगभग 224 वर्ग किलोमीटर पर एक महाविद्यालय है। अभी इस स्थिति में और सुधार करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा की पहुँच को भौगोलिक दृष्टि से सुनिश्चित करने तथा उन जिलों में महाविद्यालयों की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता है जहां जनसंख्या के अनुपात में अभी कम महाविद्यालय हैं।
- राज्य में उच्च शिक्षा का विस्तार हाल के वर्षों में ही तीव्रता से हुआ है। राज्य के लगभग दो–तिहाई विश्वविद्यालयों की स्थापना पांच वर्षों में हुई है। लगभग 52 प्रतिशत निजी महाविद्यालय 5 वर्ष से कम आयु के हैं तथा लगभग 86 प्रतिशत महाविद्यालय 10 वर्ष से कम आयु के हैं। इन संस्थानों के परिपक्व होने के लिए इनकी आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है।
- अधिकतम विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु मान्यता दिलवाना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के विकास के लिए यू.जी.सी. योजनाओं के तहत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करना ताकि इन महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की वृद्धि हो सके।
- उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्यात्मक वृद्धि के साथ उच्चशिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की महति आवश्यकता है।
- अधिकतम उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रत्यायन हेतु प्रोत्साहित करना तथा जिनका प्रत्यायन अवधिपार हो चुका है उन्हें पुनःप्रत्यायन हेतु प्रेरित करना।
- महाविद्यालयों के पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, तथा कम्प्यूटर सुविधा, फोटोस्टेट मशीन, इन्टरनेट कनेक्टिविटी आदि सुविधाओं में वृद्धि।
- महाविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर पर विषयों के विकल्पों में वृद्धि करना।

## उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का अनुपालना

| क्र. सं. | नीतिगत निर्णय | अनुपालना |
|---|---|---|
| 1 | प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक सभी बालिकाओं /छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए जन जागरण एवं उपयुक्त प्रोत्साहन। | सत्र 1990–91 से ही सभी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं से स्नातकोत्तर स्तर तक कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। सत्र 2000–01 में जहां 100 छात्रों पर 54 छात्राएं अध्ययनरत थीं वहीं इस सत्र में यह संख्या 82 हो गई है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए ये क्रमशः 18 व 14 से बढ़कर 62 व 67 हो गई है। |
| 2 | उपखण्ड स्तरीय सभी महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की शुरुआत। | वर्ष 2009–10 में 11 महाविद्यालयों में विज्ञान व 3 महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किए गये हैं तथा वर्ष 2010–11 में 13 महाविद्यालयों में विज्ञान व 6 महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किए गये। |
| 3 | राज्य में उच्च गुणवत्ता के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भूमिका का विस्तार तथातदनुरूप सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की गारण्टी। | राज्य में उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र के निवेशकर्ता को सुविधाएं प्रदान की गईं हैं। अब तक निजी क्षेत्र में 33 निजी विश्वविद्यालय व 1373 निजी महाविद्यालय स्थापित हैं। इनमें 20 (60 प्रतिशत) विश्वविद्यालय एवं 636 (46 प्रतिशत) निजी महाविद्यालय दिसम्बर, 2008 के उपरान्त प्रारम्भ किये गये। |
| 4 | युवाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए सक्षम बनाने एवं कैरियर काउन्सलिंग हेतु शिक्षण संस्थानों में युवा विकास केन्द्रों की निजी क्षेत्र की भागीदारी में स्थापना। | प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2009–10 में युवा विकास केन्द्रों की स्थापना की गई । वर्तमान में 135 राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा इनमें विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास व रोजगार के अवसरों आदि विविध विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। |
| 5 | तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के विकास के लिए 'सलाहकार परिषद' का गठन | प्रदेश में उच्च शिक्षा के तीव्र गति से हो रहे विकास एवं बढ़ती हुई शिक्षण संस्थाओं के गुणात्मक विकास हेतु 3 जनवरी 2009 को माननीय मंत्री मण्डल द्वारा एक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा परीक्षणाधीन है। |
| 6 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को नोडल एजेंसी बना कर निःशुल्क व्यवस्था | उदयपुर, जयपुर व जोधपुर के विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था चल रही है। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में भी ग्रीष्मावकाश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध करवायी गयी। |
| 7 | छात्रसंघों के चुनावों की अनुमति | लिंग्दोह समिति की अनुशंसा के अनुसार छात्र संघ चुनाव सत्र 2010–11 से किये जाने हेतु निर्णय लेकर सत्र 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव क्रमशः 25 अगस्त 2010, 20 अगस्त 2011 व 18 अगस्त 2012 को सम्पन्न करवाए गए। |
| 8 | प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति | सभी विश्वविद्यालयों में वर्ष 1997 के बाद रिक्त हुए पदों को भरने हेतु जारी की गई अनुमति में आरक्षण प्रावधानों का पूर्ण पालन करने तथा बैकलॉग का ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया है। कॉलेज शिक्षा विभाग की बैकलॉग रिक्तियों पर चयन हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई। |
| 9 | प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की वित्तीय समस्याओं के समाधान पुनर्गठन एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयास | विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक 21.1.2010 को महामहिम राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर विश्वविद्यालय की वित्तीय समस्याओं व पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव चाहे गये। इस सन्दर्भ में समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार राज्य सरकार के आदेश द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2010 को विश्वविद्यालयों की ब्लॉक ग्रान्ट के फार्मूले में संशोधन किया गया है। |
| 10 | विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय शिक्षकों के नये पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में चड्ढा समिति की सिफारिशों का मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रदेश में क्रियान्वयन | विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नवीन संशोधित वेतनमानों के सम्बन्ध में चड्ढा समिति की सिफारिशों का मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रदेश में क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये है। पदनाम परिवर्तन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |

## शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालय

- वर्ष 2011–12 के बजट में बी.एड. व एम.एड. पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा के अधीन करने के निर्णय की घोषणा की गई। अप्रेल 2012 में राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनस की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर बी.एड. पाठ्यक्रम / महाविद्यालयों को शिक्षा (ग्रुप–1) के कार्यों से हटा कर शिक्षा (ग्रुप–4) के कार्यों में शामिल किया गया।
- वर्ष 2012–13 की घोषणा में ही ग्रामीण क्षेत्र के 5 महाविद्यालयों – कालाडेरा, चिमनपुरा, खैरवाड़ा, भोपालगढ़ व नसीराबाद में बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।
- अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 1 प्राचार्य, 1 उपाचार्य, 1 समन्वयक, 1 पुस्तकालयाध्यक्ष, 4 अनुदेशक, 1 पी.टी.आई. एवं 37 व्याख्याताओं को राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित 5 बी.एड महाविद्यालयों में बी.एड की सम्बद्धता सम्बंधी कार्य करने हेतु उपस्थिति देने के लिए निर्देशित किया गया।
- राज्य में वर्तमान में कुल 782 (780 निजी व 2 राजकीय क्षेत्र के) शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें से 516 सहशिक्षा तथा 266 महिला महाविद्यालय के रूप में संचालित हैं।
- राज्य के 38 शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के एम.एड पाठ्यक्रम (38 नियमित व 2 पार्ट–टाइम) भी संचालित हैं तथा इनमें 1362 सीटें उपलब्ध हैं।
- इन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की लगभग 90,910 सीटें उपलब्ध हैं।
- 11 महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षण–प्रशिक्षण के स्नातक पाठ्यक्रम (बी.पी.एड) उपलब्ध है।

## एन. सी. सी. निदेशालय

- राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना सन् 1948 में 600 कैडेटों व 3 इकाइयों के साथ हुई। राजस्थान में एन.सी. सी. निदेशालय 1963 में स्थापित किया गया था। उस समय 14 एन.सी. सी. इकाइयाँ थीं। उत्तरोत्तर विकास से अब राजस्थान में एक कोने से दूसरे कोने तक राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय के अधीन 4 ग्रुप मुख्यालय एवं 36 एन.सी.सी. इकाइया हैं जिन पर निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण है। इनमें छात्र इन्फेन्ट्री बटालियन 8, छात्रा इन्फेन्ट्री बटालियन 4, जल सेना इकाई 3, वायु सेना इकाई 4, इण्डेप कम्पनी 6, टेक्निकल एवं अभियांत्रिक इकाइयाँ 11 हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर कार्यक्रम में पहले केवल सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था तथा अब इस सैनिक प्रशिक्षण के साथ–साथ खेलकूद, साहसिक प्रशिक्षण, पर्वतारोहण, हवाई कूद, नौकायन अभियान, साइकल अभियान तथा समाज सेवा कार्यक्रम आदि प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
- रक्षा मंत्रालय, भरत सरकार द्वारा एन.सी.सी. निदेशालय राजस्थान, जयपुर में एक उप–महानिदेशक एयर कमोडोर रैंक के और एक निदेशक कर्नल रैंक के पदस्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त निदेशक कार्मिक (ले. कर्नल), एक संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण (ले. कर्नल), एक संयुक्त निदेशक समन्वय (विंग कमान्डर), एक संयुक्त निदेशक प्रशासन (ले. कर्नल) तथा सिविलियन में प्रशासनिक अधिकारी व एक वरिष्ठ लेखाधिकारी भी पदस्थापित हैं। इन अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य शाखा द्वारा निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के एक अधिकारी, एक लेखाधिकारी राजस्थान लेखा सेवा के तथा एक सहायक लेखाधिकारी पदस्थापित हैं। चार ग्रुप मुख्यालयों में पदस्थापित चार ग्रुप कमाण्डर के अधीन 36 एन.सी.सी. इकाइयाँ राज्य के विभिन्न जिलों में हैं जिनमें कर्नल/ले. कर्नल/मेजर रैंक के कमान अधिकारी पदस्थापित हैं।

### राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के अन्य पद

| क्रम सं. | पद | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | लेखाकार | 1 |
| 2 | कनिष्ठ लेखाकार | 44 |
| 3 | वाहन चालक | 57 |
| 4 | एयरोमॉडलिंग इन्स्ट्रक्टर | 4 |
| 5 | शिप मॉडलिंग मैकेनिक | 3 |
| 6 | शिप मॉडलिंग स्टोर कीपर | 3 |
| 7 | कार्यालय अधीक्षक | 5 |
| 8 | कार्यालय सहायक | 13 |
| 9 | वरिष्ठ लिपिक | 55 |
| 10 | कनिष्ठ लिपिक | 86 |
| 11 | स्टनोग्राफर | 1 |
| | **योग** | **272** |

| क्रम सं. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | लश्कर | 245 |
| 2 | फेरियर | 1 |
| 3 | सैडलर | 1 |
| 4 | साइकिल सवार | 24 |
| 5 | चपरासी | 9 |
| 6 | चौकीदार | 47 |
| 7 | बोटकीपर | 6 |
| 8 | स्वीपर | 21 |
| 9 | मसालची | 4 |
| | **योग** | **358** |

## 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

➢ वर्ष 2012–13 में राजस्थान में एन.सी.सी. डिवीजन में कडेट्स की संख्याः–

| | सीनियर डिवीज़न | जूनियर डिवीज़न |
|---|---|---|
| अधिकृत संख्या | 16900 | 32993 |
| भर्ती कैडेट्स की संख्या | 16377 | 29173 |

➢ वर्ष 2012–13 के दौरान परेड में कैडेट्स की प्रतिभागिताः–

| डिवीज़न | थल सेना | जल सेना | वायु सेना | एन.सी.सी. महिला कैडेट्स |
|---|---|---|---|---|
| सीनियर | 86.84% | 82.14% | 83.20% | 91.97% |
| जूनियर | 86.24% | 89.52% | 83.66% | 83.12% |

➢ वर्ष में सम्पन्न एन.सी.सी. प्रमाण पत्र परीक्षा के परिणाम–

| | 'ए' सर्टीफिकेट | | 'बी' सर्टीफिकेट | | 'सी' सर्टीफिकेट | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रवेश संख्या | उत्तीर्ण संख्या | प्रवेश संख्या | उत्तीर्ण संख्या | प्रवेश संख्या | उत्तीर्ण संख्या |
| थल सेना | 5868 | 5770 | 6197 | 5908 | 3879 | 3767 |
| जल सेना | 1232 | 1232 | 367 | 358 | 247 | 245 |
| वायु सेना | 1260 | 1173 | 469 | 349 | 321 | 308 |
| छात्रा | 1658 | 1591 | 1218 | 1206 | 764 | 743 |

➢ राजस्थान में एन.सी.सी. अधिकारियों (ए.एन.ओ.) एवं कैडेटों के लिए निम्नानुसार विभिन्न सैनिक इकाइयों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने वर्ष 2012–13 में स्थान आवन्टन किये गये तथा उन्होंने संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया।

| क्रम सं. | सेना | विवरण | अधिकारी | कैडेट्स |
|---|---|---|---|---|
| 1 | थल सेना | आवंटित की संख्या | 11 | 601 |
| | | भाग लेने वालों की संख्या | 11 | 587 |
| 2 | जल सेना | आवंटित की संख्या | 1 | 25 |
| | | भाग लेने वालों की संख्या | 1 | 16 |
| 3 | वायु सेना | आवंटित की संख्या | 1 | 27 |
| | | भाग लेने वालों की संख्या | 1 | 27 |

➢ जल, थल, एवं वायु सेना से सम्बन्धित एन.सी.सी. कैडेटों का वार्षिक, प्रशिक्षण विभिन्न शिविरों में मूल्यांकन होता है जिसमें साहसिक जीवन, सामूहिक आवास, सामाजिक सेवा, प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2012–13 में जल सेना डिवीज़न ने 39, थल सेना डिवीज़न ने 4, वायु सेना डिवीज़न ने 4 व छात्रा डिवीज़न ने 4 शिविर लगाये जिनमें 29338 कैडेटों ने भाग लिया।

➢ एन.सी.सी. के छात्र/छात्राओं द्वारा एल.एम.जी, राइफल .22 एसडी व जेडी, राइफल 7.62 एसडी तथा 12 बोर बन्दूकों से 22859 फायर किये गये।

➢ एन.सी.सी. के छात्र/छात्राओं ने 376.43 घंटे माइक्रोलाइट लॉन्चेज में भाग लिया।

➢ वर्ष 2012–13 में एयर स्क्वाड्रन एन.सी.सी. के कैडेटों द्वारा विभिन्न प्रकार के 175 मॉडल तैयार किये गये।

➢ वार्षिक शिविरों के अतिरिक्त महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में भाग लेने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या निम्नानुसार थीः–

| शिविरा का नाम | छात्र | छात्रा |
|---|---|---|
| थल सैनिक शिविर | 40 | 40 |
| वायु सैनिक शिविर | 28 | 14 |
| नौ सैनिक शिविर | 20 | 10 |
| नेशनल इन्टीग्रेशन शिविर | 868 | 510 |
| एडवांस लीडरशिप/वायु सैनिक/रॉक क्लाइम्बिंग ट्रेनिंग कैम्प | 98 | 36 |
| ऑल इन्डिया ट्रेक | 405 | 720 |
| यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम | 1 | 5 |
| रिपब्लिक डे कैम्प | 28 | 74 |
| अटैचमेन्ट | 666 | 20 |

➢ सामाजिक कार्य :–

5405 एन.सी.सी. कैडेटों ने संयुक्त विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रेल 2012), विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई 2012), My Earth, My Duty Campaign (अगस्त 2012), वृक्षारोपण कार्यक्रम (अगस्त–सितम्बर 2012), विश्व पर्यावरण दिवस (5 सितम्बर 2012), Drug Abuse and Illicit Trafficking Rally (6 अक्टूबर 2012), विश्व एड्स दिवस (1 दिसम्बर 2012) व राष्ट्रीय मतदान दिवस (25 जनवरी 2013) के अवसर पर अभियानों में भाग लिया।

## निष्पादन आय व्यय अनुमान (राशि लाख रु. में)

| क्र. स. | बजट मद संख्या | लेखा वर्ष 2011–12 | | आय व्यय अनुमान 2012–13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना भिन्न | आयोजना | आयोजना भिन्न | आयोजना |
| 1 | 24–2204–102(01)(01)(02) | 1697.75 | – | 1910.72 | – |
| 2 | 30–2204–796 –03 (01)(02) | 2.75 | – | 3.50 | – |
| | **योग** | **1700.50** | | **1914.22** | |

# राष्ट्रीय सेवा योजना

- राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारम्भ पूज्य महात्मागांधी जी की जन्मशती वर्ष में पूरे देश में किया गया।
- राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य समाज सेवा के माध्यम से छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व विकास का है । इस योजना का ध्येय वाक्य (Motto) है – **'मैं नहीं तुम'** (Not Me But You)
- राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चुने हुये विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं '**+2 स्तर**' के सीनियर सैकण्डरी के विद्यालयों में साक्षरता, रोजगार, एड्स, जागरूकता, मतदाता जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं श्रमदान संबंधी कार्य करवाये जाते हैं।
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक संस्था द्वारा 100 स्वयंसेवकों का पंजीकरण कर एक इकाई का गठन किया जाता है जिसके प्रभारी के रूप में एक संकाय सदस्य को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में लगाया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है– नियमित गतिविधियाँ तथा 7 दिवसीय विशेष शिविर। नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत एक स्वयं सेवक को दो वर्ष के अध्ययनकाल में 240 घण्टे सामाजिक कार्य एवं एक सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है।
- योजना के प्रारम्भ में राजस्थान को 266 स्वयंसेवकों की संख्या आवन्टित की गई थी। वर्ष 2012–13 में यह संख्या 1,75,700 आवन्टित की गई है।
- इकाइयों का विभाजन निम्नानुसार किया गया है:–

| | संस्थाएँ | इकाइयाँ | स्वयंसेवक |
|---|---|---|---|
| उच्च शिक्षा (निदेशालय स्तर) | 517 | 874 | 87400 |
| + 2 स्तर माध्यमिक शिक्षा | 773 | 773 | 77300 |
| विश्वविद्यालय स्तर पर | 17 | 110 | 11000 |
| योग | 1307 | 1757 | 175700 |

## बजट प्रावधान

- राष्ट्रीय सेवा योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, जिसमें 7:5 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जाता है ।
- सत्र 2012–13 में बजट प्रावधान निम्नानुसार है : –

| | **योग** |
|---|---|
| केन्द्रीयांश | 500.00 लाख रुपये |
| राज्य आयोजना मद | 360.00 लाख रुपये |
| **योग** | **860.00 लाख रुपये** |

- बजट प्रावधान एवं व्यय विवरण (पूर्व के पांच वर्ष, राशि रु. में)

| **वर्ष** | **बजट प्रावधान** | | **व्यय** | |
|---|---|---|---|---|
| | **सीएसएस** | **प्लान** | **सीएसएस** | **प्लान** |
| 2006–07 | 2,72,00,000 | 1,95,00,000 | 2,61,31,000 | 1,87,00,000 |
| 2007–08 | 2,99,00,000 | 2,15,00,000 | 2,96,42,000 | 1,91,73,000 |
| 2008–09 | 3,14,00,000 | 2,23,00,000 | 3,09,40,000 | 2,21,00,417 |
| 2009–10 | 3,40,00,000 | 2,43,00,000 | 3,17,54,334 | 2,26,81,666 |
| 2010–11 | 3,50,00,000 | 2,50,00,000 | 2,10,68,830 | 1,50,49,170 |
| 2011–12 | 4,87,00,000 | 3,48,50,000 | 3,50,84,383$^{\neq}$ | 2,50,60,274$^{\neq}$ |
| 2012–13 | 5,00,00,000 | 3,60,00,000 | आदिनांक तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान जारी किया जा चुका है | |

$\neq$ भारत सरकार से सम्पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है

- प्रति इकाई आवन्टन 45 हजार रुपये है जिसमें 22,500 रु. नियमित गतिविधियों के लिए तथा 22,500 रु. विशेष शिविर आयोजन हेतु नियत है। निदेशालय कॉलेज शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर समन्वयक प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा +2 स्तर के विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों का संचालन होता है ।
- भारत सरकार के शत–प्रतिशत अनुदान के आधार पर शासन सचिवालय में एन.एस.एस. प्रकोष्ठ स्थापित हैं जिसमें एक राज्य सम्पर्क अधिकारी एवं 7 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ।
- उच्च शिक्षा विभाग में उक्त प्रकोष्ठ शिक्षा (ग्रुप–4 अ) विभाग के माध्यम से एन.एस.एस. गतिविधियों का सम्पादन करवाया जाता है । विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं +2 के समन्वयक को बजट आवन्टन करना, लेखे प्राप्त करना, राज्य स्तरीय आयोजन करवाना, राज्य सलाहकार समिति की बैठक करवाना, भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों की अनुपालना करवाना, एन.एस.एस. इकाइयाँ आवंटित करना, संस्था स्तर पर नियमित गतिविधियाँ एवं विशेष शिविरों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना एवं स्वयंसेवकों को समाज सेवा, एड्स जागरूकता, पर्यावरण, रक्तदान, साक्षरता, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य अभियानों, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता, मतदाता जागरूकता, नरेगा, हरित राजस्थान आदि कार्यो से जोड़ना एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना मुख्य कार्य हैं।

**राजस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों की नामांकन स्थिति**

| वर्ष | इकाई आवन्टन | | | वास्तविक नामांकन कुल स्वयंसेवक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्च शिक्षा | +2 स्तर | योग | उच्च शिक्षा | +2 स्तर | योग |
| 2008–09 | 930 | 790 | 1720 | 94148 | 80952 | 175100 |
| 2009–10 | 967 | 790 | 1757 | 95140 | 81035 | 176175 |
| 2010–11 | 967 | 790 | 1757 | 96890 | 79000 | 175890 |
| 2011–12 | 984 | 773 | 1757 | 98400 | 77300 | 175700 |
| 2012–13 | 984 | 773 | 1757 | 99300 | 77300 | 176600 |

- भारत सरकार के निर्देशानुसार इस योजना की क्रियान्विति हेतु एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित है जिसके अध्यक्ष माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय हैं। इस समिति के अन्य सदस्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, उच्च शिक्षा सचिव, भारत सरकार के प्रादेशिक केन्द्र के सहायक कार्यक्रम सलाहकार, निदेशक/आयुक्त कॉलेज शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सभी कार्यक्रम समन्वयक, पंचायत राज एवं समाज से जुड़ी हुई एजेन्सी के प्रतिनिधि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। राज्य सम्पर्क अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव हैं।

**वर्ष 2012–13 में इकाई आवन्टन की स्थिति**

| संस्था | संस्थाओं की संख्या | इकाइयाँ | | योग |
|---|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्राएँ | |
| विश्वविद्यालय | 17 | 73 | 37 | 110 |
| राजकीय महाविद्यालय | 124 | 229 | 70 | 299 |
| गैर–राजकीय महाविद्यालय | 325 | 291 | 197 | 488 |
| अभियान्त्रिकी महाविद्यालय | 32 | 33 | 5 | 38 |
| पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय | 7 | 5 | 2 | 7 |
| आयुर्वेदिक महाविद्यालय | 1 | 1 | – | 1 |
| विधि महाविद्यालय | 11 | 22 | 1 | 23 |
| संस्कृत महाविद्यालय | 11 | 11 | – | 11 |
| नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान | 1 | 1 | – | 1 |
| सामाजिक कार्य संस्थान | 1 | 1 | – | 1 |
| ग्रामीण संस्थान | 1 | 2 | – | 2 |
| क्षेत्रीय संस्थान | 1 | 1 | – | 1 |
| अन्य | 2 | 2 | – | 2 |
| **योग** | **537** | **672** | **312** | **984** |
| + 2 स्तर के विद्यालय | 773 | 510 | 263 | 773 |
| **महायोग** | **1307** | **1182** | **575** | **1757** |

## राष्ट्रीय सेवा योजना की वर्षवार नामांकन स्थिति

| वर्ष | संस्थान | इकाई आवन्टन | | | नामांकन स्वयंसेवक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग |
| 2007–08 | 1190 | 1072 | 525 | 1597 | 89597 | 74928 | 164525 |
| 2008–09 | 1289 | 1167 | 553 | 1720 | 126655 | 48445 | 175100 |
| 2009–10 | 1318 | 1187 | 570 | 1757 | 118375 | 57800 | 176175 |
| 2010–11 | 1320 | 1183 | 574 | 1757 | 118400 | 57490 | 175890 |
| 2011–12 | 1311 | 1183 | 574 | 1757 | 118200 | 57500 | 175700 |
| 2012–13 | 1307 | 1183 | 574 | 1757 | 118200 | 57500 | 175700 |

## 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- **संभागशः ग्रामीणों, कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों की एक दिवसीय कार्यशाला**

  संभागशः कार्यशालाओं का आयोजन निम्नानुसार किया गयाः–

| क्र.सं. | कार्यक्रम का नाम | आयोजक महाविद्यालय | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | सूचना का अधिकार एवं लोक सेवा गारन्टी व भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता | राजकीय महाविद्यालय, पाली | 29 जनवरी, 2013 |
| 2 | स्वाथ्य चेतना (योग का महत्व एवं युवा) | आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय, लाडनूं (नागौर) | 29 जनवरी, 2013 |
| 3 | कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम एवं युवा | राजकीय महाविद्यालय, करौली | 20 जनवरी, 2013 |
| 4 | विधिक चेतना एवं युवा | रामपुरिया विधि महा. बीकानेर | 29 जनवरी, 2013 |
| 5 | सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा | राजकीय महाविद्यालय, बांरा | 29 जनवरी, 2013 |
| 6 | कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका शिक्षा | प्रभाशंकर पण्ड्या कॉलेज, परतापुर (बांसवाड़ा) | 13 जनवरी, 2013 |

इन कार्यशालाओ में प्रति महाविद्यालय से एक कार्यक्रम अधिकारी, दो चयनित स्वयंसेवकों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया तथा सम्बन्धित विषयों पर विद्वानों द्वारा व्यावहारिक चर्चा की गई।

- **कार्यक्रम अधिकारियों के लिए सम्मेलन** :– राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रति वर्ष दो दिवसीय सम्भागस्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है । इन सम्मेलनों में कार्यक्रम अधिकारियों के साथ अनेक विषयों पर गहन चर्चा–परिचर्चा होती है तथा विभिन्न विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2012–13 में कार्यशालाओं का आयोजन निम्नानुसार किया गयाः–

| क्र.सं. | सम्भाग | आयोजक महाविद्यालय | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा | 28–29 जनवरी, 2013 |
| 2 | बीकानेर | राजकीय महाविद्यालय, चूरू | 28–29 जनवरी, 2013 |
| 3 | कोटा | राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, बून्दी | 3–4 फरवरी, 2013 |
| 4 | उदयपुर | राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर | 23–24 जनवरी, 2013 |
| 5 | जयपुर | राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा | 16–17 जनवरी, 2013 |
| 6 | भरतपुर | राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर | 23–24 जनवरी, 2013 |

- **राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार**

  निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा वर्ष 2000–01 से राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2011–12 में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली 4 संस्थाओं, 6 कार्यक्रम अधिकारियों एवं 9 स्वयंसेवकों को परिष्कार कॉलेज फॉर ग्लोबल एक्सीलेन्स जयपुर में 12 फरवरी, 2013 को राज्य–स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया।

- **राज्य–स्तरीय प्रतियोगिताएं**

| क्र. सं. | प्रतियोगिता | आयोजक महाविद्यालय | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रभक्ति एकल गीत प्रतियोगिता | बियानी कॉलेज फोर गर्ल्स, जयपुर | 31 जनवरी, 2013 |
| 2 | वादविवाद प्रतियोगिता | एस.एस.जैन सुबोध महिला महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर | 31 जनवरी, 2013 |
| 3 | निबन्ध प्रतियोगिता | राजकीय महाविद्यालय, दौसा | 31 जनवरी, 2013 |

## अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

**1.** इस सत्र में राज्य के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी, 2013 को राज्य स्तरीय खेल महोत्सव 2013 का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के 25 हजार एन.एस.एस. स्वयं सेवकों ने सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर योगदान दिया।

**2.** 25 जनवरी 2013 को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन बिड़ला सभागार जयपुर में किया गया जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एन.एस.एस. के 800 स्वयं सेवकों ने भाग लिया।

**3. कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण** :– रीपा में संचालित टी.ओ.सी. (एन.एस.एस.) द्वारा ओरिएन्टेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 450 कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

**4. इन्दिरा गांधी एन.एस.एस. अवार्ड :–** भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष एन.एस.एस. इन्दिरा गांधी अवार्ड प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2011–12 के लिए राजस्थान से श्री श्याम सुन्दर ने कार्यक्रम अधिकारी एवं सुश्री भाग्य लक्ष्मी ने स्वयंसेवक इन्दिरा गांधी एन.एस.एस. अवार्ड प्राप्त किया।

**5. गणतंत्र दिवस परेड :–** 2013 की आर.डी. परेड में राजस्थान के एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 11 स्वयंसेवकों ने भाग लिया जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा।

**6. रोजगार योजनाओं की जानकारी एवं प्रशिक्षणः–** युवकों में उद्यमिता विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से स्वयंसेवकों को रोजगार सम्बन्धी जानकारी दी जाती है तथा इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विशेष शिविरों में इस विषय पर व्यवहारिक जानकारी भी दी जाती है। इससे सम्बन्धितों को तत्काल लाभ पहुँचाया जाता है।

**7.** प्री.आर.डी. कैम्प में दो कार्यक्रम अधिकारियों व साठ स्वयं सेवकों; दो मेगा कैम्पों में 2 कार्यक्रम अधिकारियों, 28 स्वंयसेवकों; पाँच एडवेन्चर कैम्पों में 6 कार्यकम अधिकारियों एवं 100 स्वयंसेवकों; दो *'यूथ टू दी एज्'* स्पेशल एडवेन्चर कैम्पों में 3 कार्यक्रम अधिकारियों एवं 45 स्वयंसेवकों, नोर्थ इस्टर्न यूथ फेस्टिवल में एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 16 स्वयंसेवकों तथा तीन यूथ एक्सचेंज कार्यक्रमों में 6 कार्यक्रम अधिकारियों एवं 60 स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

## राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

- 1907 मे बेडन पावेल द्वारा एक प्रायोगिक शिविर से अंकुरित स्काउट कार्यक्रम आज विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा आन्दोलन बन गया है जो विश्व के 216 राष्ट्र एवं उपनिवेशों मे अपनी शाखाएं फैला चुका है।
- स्काउट गाइड गतिविधि के अन्तर्गत 16 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के युवक–युवतियों के लिए संचालित गतिविधि को रोवरिंग/रेंजरिंग के नाम से सम्बोधित किया जाता है। युवकों को रोवर और युवतियों को रेंजर कहा जाता है।
- राजस्थान प्रदेश में रोवरिंग/रेंजरिंग गतिविधि संगठन के प्रार्दुभाव के समय से ही संचालित रही है, परन्तु महाविद्यालय शिक्षा से जुड़े सभी महाविद्यालयों में यह गतिविधि संचालित नहीं थी। सत्र 2012–13 में श्री नवीन जैन, आई.ए.एस., निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को कमिश्नर रोवरिंग का पदभार दिया गया ।
- इस सत्र में रोवरिंग/रेंजरिंग गतिविधि को महाविद्यालयों में प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार प्रयास किए गए –
  - पहले से पंजीकृत रोवरिंग/रेंजरिंग को पुनर्जीवित करना,
  - जिन महाविद्यालयों में अभी तक यूनिट्स का गठन नहीं हुआ हो उन्हें गठन के लिए प्रेरित करना,
  - राज्य स्तर पर आयोजित 5 दिवसीय रोवर मूट/रेंजर मीट में भागीदारी बढ़ाना व
  - रोवर/रेंजर गतिविधियों को समाज की कल्याणकारी गतिविधियों से जोड़ना।
- इन प्रयासों के परिणाामस्वरूप संगठन से जुड़े महाविद्यालय की संख्या 301 से बढ़कर इस वर्ष 506 हो गई है। इस वर्ष विशेष अभियान के अन्तर्गत महाविद्यालयों में गत वर्षों की तुलना में 227 इकाईयां नई गठित कर एक कीर्तिमान बनाया गया है।
- **मण्डलवार क्रू व टीमों की संख्याः–**

| क्र.सं. | मण्डल | 2011–12 | | 2012–13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | क्रू | टीम | क्रू | टीम |
| 1 | अजमेर | 104 | 46 | 108 | 54 |
| 2 | भरतपुर | 51 | 20 | 54 | 27 |
| 3 | बीकानेर | 180 | 96 | 237 | 145 |
| 4 | जयपुर | 126 | 76 | 141 | 98 |
| 5 | जोधपुर | 82 | 60 | 88 | 65 |
| 6 | कोटा | 98 | 40 | 122 | 44 |
| 7 | उदयपुर | 65 | 41 | 76 | 45 |
| | कुल | 706 | 379 | 826 | 478 |

- **<u>अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व</u> :–**
  - द्वितीय स्पेशल इन्टीग्रेशन पीस कैम्प पाकिस्तान से 2 से 6 मई, 2012 तक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 4 महाविद्यालयों से 5 रोवर्स ने सहभागिता की (श्री भवानीनिकेतन छात्र महाविद्यालय, जयपुर से श्री रवि शर्मा, चिड़ावा कॉलेज, झुन्झुनू से श्री नवीन कुमार बोडिया एवं श्री अभिषेक मेहरानिया, महर्षि परशुराम महाविद्यालय, दांता, सीकर से श्री पिंटू कुमार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से श्री ओमाराम)
  - द्वितीय स्पेशल इन्टीग्रेशन पीस कैम्प पाकिस्तान से 18 से 21 अक्टूबर 2012 तक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 2 महाविद्यालयों से 3 रोवर्स ने सहभागिता की (चिड़ावा कॉलेज, झुन्झुनू से श्री हिमान्शु आडवतियां, श्री रामादेवी बालिका महाविद्यालय, हरनाथपुर नोआं, झुन्झुनू से सुश्री अलका सिहाग एवं प्रियंका कुमारी)

- **बेसिक कोर्सः–** महाविद्यालयों में रोवरिंग/रेंजरिंग गतिविधि को प्रारम्भ करने हेतु प्रशिक्षित रोवर/रेंजर लीडर की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्काउट/गाइड संगठन द्वारा 7 दिवसीय रोवर/रेंजर लीडर आवासीय बेसिक कोर्स आयोजित किये जाते है। इस वर्ष प्रदेश के 140 रोवर लीडर एवं 114 रेंजर लीडर इस बेसिक कोर्स से लाभान्वित हुए है।

- **एडवांस कोर्स :–** एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त रोवर/रेंजर लीडर की यूनिट्स के रोवर/रेंजर को ही राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करने हेतु चयनित किया जाता है। इस उद्देश्य से बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त रोवर/रेंजर लीडर को 7 दिवसीय आवासीय राज्य स्तरीय रोवर/रेंजर लीडर एडवांस प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है। वर्ष 2012–13 में आयेजित एडवांस प्रशिक्षण की स्थिति निम्नानुसार है –

| गतिविधि का नाम | आयोजित कोर्स की संख्या | संभागी संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अजमेर | भरतपुर | बीकानेर | जयपुर | जोधपुर | कोटा | उदयपुर | योग |
| रोवर विभाग | 7 | 0 | 9 | 34 | 71 | 25 | 1 | 0 | 140 |
| रेंजर विभाग | 8 | 27 | 1 | 32 | 27 | 27 | 0 | 0 | 114 |

- **गतिविधियां** – रोवर/रेंजर्स यूनिट द्वारा वर्षपर्यन्त स्थानीय, जिला व मण्डल स्तर पर आयोजित विशिष्ठ गतिविधियों में सक्रियतापूर्वक सहभागिता की जाती है।
  - **मेलों में सेवा :–** संभाग स्तर पर आयोजित प्रदेश के बड़े मेले यथा– अजमेर का पुष्कर/उर्स का मेला, बीकानेर का कोलायत व गोगामेडी मेला, भरतपुर का गणेश मेला, केलादेवी मेला, मचकुण्ड मेला, जयपुर का खाटू श्याम मेला, भर्तृहरि मेला, गणगौर मेला, तीज माता का मेला, जोधपुर का रामदेवरा मेला, कोटा का दशहरा मेला, गणेश विसर्जन, उदयपुर का बेणेश्वर मेला आदि में रोवर्स/रेंजर्स द्वारा सेवाएं दी जाती हैं।
  - **ब्लड डोनेशन :–** इस वर्ष 20 अगस्त, 2012 को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस पर रक्तदान को रक्त मित्रोत्सव के रूप में विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोवर्स/रेंजर्स द्वारा 5100 यूनिट रक्तदान किया गया।
  - इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, यातायात नियंत्रण, तम्बाकू निषेध, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, साक्षरता, अस्पतालों में सेवाकार्य, एड्स चेतना कार्यक्रम आदि में रोवर/रेंजर्स यूनिट द्वारा सक्रिय सेवायें प्रदान की जाती है।

- **प्रशिक्षण गतिविधियाँ**

| क्र. सं. | मण्डल | 2011–12 | | | | | | | | 2012–13 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रवीण प्रशिक्षण | | निपुण प्रशिक्षण | | प्रवीण अभिशंसा | | निपुण अभिशंसा | | प्रवीण प्रशिक्षण | | निपुण प्रशिक्षण | | प्रवीण अभिशंसा | | निपुण अभिशंसा | |
| | | रोवर | रेंजर | रोवर | रेंजर | रोवर | रेंजर | रोवर | रेंजर | रोवर | रेंजर | रोवर | रेंजर | रोवर | रेंजर | रोवर | रेंजर |
| 1 | अजमेर | 88 | 43 | 17 | 14 | 79 | 48 | 24 | 11 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | भरतपुर | 111 | 27 | 20 | 13 | 98 | 24 | 0 | 22 | 76 | 60 | 64 | 24 | 76 | 60 | 6 | 0 |
| 3 | बीकानेर | 258 | 159 | 62 | 27 | 258 | 140 | 37 | 26 | 155 | 87 | 100 | 28 | 182 | 105 | 32 | 21 |
| 4 | जयपुर | 142 | 44 | 48 | 09 | 231 | 52 | 33 | 09 | 364 | 89 | 31 | 20 | 108 | 43 | 40 | 12 |
| 5 | जोधपुर | 333 | 163 | 83 | 37 | 217 | 85 | 60 | 17 | 100 | 43 | 51 | 0 | 139 | 0 | 36 | 19 |
| 6 | कोटा | 185 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 162 | 0 | 63 | 0 | 68 | 0 | 332 | 136 | 19 | 0 |
| 7 | उदयपुर | 169 | 40 | 0 | 09 | 84 | 26 | 0 | 0 | 99 | 58 | 52 | 21 | 88 | 56 | 0 | 0 |
| | योग | 1371 | 476 | 230 | 109 | 1278 | 375 | 316 | 85 | 881 | 347 | 368 | 93 | 975 | 400 | 147 | 48 |

- **महाविद्यालय प्राचार्य एवं रोवर/रेंजर लीडर संगोष्ठियां : –**

| क्र.सं. | सम्भाग | संगोष्ठियों की संख्या | संभागी संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर | 4 | 232 |
| 2 | अजमेर | 4 | 69 |
| 3 | कोटा | 2 | 40 |
| 4 | उदयपुर | 3 | 164 |
| 5 | भरतपुर | 2 | 56 |
| 6 | जोधपुर | 2 | 26 |
| 7 | बीकानेर | 3 | 293 |
| | **कुल** | **20** | **915** |

- **रोवर/रेंजर शैक्षिक एवं साहसिक भ्रमण दिनांक 23 से 28 मई, 2012 काठगोदाम नैनीताल उत्तराखण्ड**

स्काउट संगठन द्वारा कॉलेज ग्रुप को प्रतिवर्ष शैक्षिक एवं साहसिक भ्रमण के माध्यम से शारीरिक, मानसिक विकास एवं ऐतिहासिक गतिविधियों की जानकारी के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष शैक्षिक एवं साहसिक भ्रमण काठगोदाम नैनीताल उत्तराखण्ड में आयोजित किया गया जिसमें 162 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

- **सत्र 2012–13 की विशिष्ठ गतिविधि – रोवर मूट–रेंजर मीट**

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर के तत्वावधान में दिनांक 9 से 14 जनवरी 2013 तक स्काउट गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र जगतपुरा, जयपुर पर 54वां रोवर मूट–40वीं रेंजर मीट का भव्य एतिहासिक आयोजन किया गया। रोवर मूट/रेंजर्स मीट के आयोजन श्री निरंजर आर्य, स्टेट चीफ कमिश्नर, श्री नवीन जैन, स्टेट कमिश्नर (रोवर) डॉ. एस. आर. जैन, राज्य सचिव महोदय, श्रीमती वन्दना बागड़िया, संयुक्त राज्य सचिव, श्री नागरमल शर्मा, हेडक्वार्टर कमिश्नर (रोवरिंग) एवं श्री विनोद शर्मा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) राजस्थान, जयुपर के नेतृत्व एवं निर्देशन में किया गया। रोवर रेंजर गतिविधि के अन्तर्गत यह राजस्थान में प्रथम अवसर था जब प्रदेश के समस्त जिलों से लगभग 300 राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों से 3000 रोवर रेंजर, रोवर एवं रेंजर लीडर ने सहभागिता की। मण्डलवार रोवर/रेजर्स, संचालक दल, सर्विस रोवर/रेंजर, चिकित्सा, अग्नि शमन, पुलिस विभाग, आर एस सी एवं अन्य कुल रोवर रेंजर में निम्नानुसार सहभागिता रही।

| क्र.स. | मण्डल | रोवर | लीडर | रेंजर | लीडर | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 209 | 21 | 113 | 9 | **352** |
| 2 | भरतपुर | 163 | 12 | 53 | 5 | **233** |
| 3 | बीकानेर | 366 | 35 | 170 | 21 | **592** |
| 4 | जयपुर | 494 | 46 | 316 | 31 | **887** |
| 5 | जोधपुर | 210 | 12 | 69 | 4 | **295** |
| 6 | कोटा | 202 | 21 | 56 | 4 | **283** |
| 7 | उदयपुर | 161 | 12 | 63 | 5 | **241** |
| | स्टाफ, सर्विस रोवर रेंजर एवं अन्य | | | | | **323** |
| | **योग** | **1805** | **159** | **840** | **79** | **3206** |

माननीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के मुख्यातिथ्य एवं ऊर्जा मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने स्काउट गाइड गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने रोवर रेंजर को स्काउट संगठन के सिद्वान्तों एवं नियमों पर चलने का संकल्प लेने का आव्हान किया तथा उन्हें जनता की सेवा करने की प्रेरणा दी।

रोवर मूट/रेंजर मीट का प्रारम्भ साहसिक गतिविधियों की प्रतियोगिताओं के साथ किया गया। सायंकालीन सत्र में रोवर रेंजरों को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सीखने–जानने का अवसर उपलब्ध करवाया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव डॉ. के.के. पाठक ने प्रतिभागियों के बीच में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं तथा आयोग की कार्यशैली के संबंध में जानकारी दी। छात्र–छात्राओं ने उनसे प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के संबंध में प्रश्न पूछे। जयपुर मण्डल में कार्यरत रेल्वे के वरिष्ठ आई.आर.टी.एस. अधिकारी श्री रतनेश झा ने छात्र–छात्राओं को दिल्ली मैट्रो रेल तथा भारतीय रेल के संचालन के संबंध में रोचक जानकारी प्रदान की। डॉ. समित शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवायें निगम ने जैनरिक दवाओं तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के संबंध में विस्तृत पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन दिया।

आयोजन का थीम **'सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा'** था। इस क्रम में युवक–युवतियों को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से 'सड़क–सुरक्षा प्रदर्शनी' लगाई गई जिसका उद्घाटन स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य एवं यातायात अधीक्षक श्रीमती लता मनोज ने किया। प्रदर्शनी में यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करने वाले विविध पोस्टर, पेम्फलेट एवं चित्र के माध्यम से जानकारी दी गई।

**''नारी सुरक्षा''** विषय पर आयोजित राल्य–स्तरीय सेमीनार में स्टेट कमिश्नर गाइड एवं आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान श्रीमती वीणा प्रधान ने व्याख्यान दिया व बेटियों के साथ–साथ बेटों को भी संस्कारित कर नारी सुरक्षा हेतु जागृत करने पर बल दिया।

युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार के तत्वावधान में स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयन्ति पर राज्य स्तरीय युवा खेल महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के स्टेट कमिश्नर (रोवर) नवीन जैन, आयुक्त आवासन मण्डल नीरज के.पवन, गिरधारी सिंह बापना महाधिवक्ता राजस्थान एवं गौरव शर्मा पर्वतारोही तथा अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत की । मीट का औपचारिक समापन समारोह 13 जनवरी, 2013 को सांय राज्य मंत्री खेलकूद एवं युवा मामलात मांगीलाल गरासिया के मुख्यातिथ्य एवं अध्यक्षा, राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा विजय लक्ष्मी विश्नोई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

**रोवर मूट/रेंजर मीट में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं की सूची निम्नानुसार हैः–**

| क्र.सं | | विभाग | क्रू/टीम का नाम | जिला, मण्डल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वश्रेष्ठ अनुशासित महाविद्यालय | रोवर | मरुधन स्वतंत्र रोवर क्रू, सीकर | सीकर, जयपुर |
| | | रेंजर | एम.एस. गर्ल्स कॉलेज, बीकानेर | बीकानेर |
| 2 | सर्वश्रेष्ठ सहभागी यूनिट लीडर | रोवर | श्री के.एल. लाठ, चिडावा कॉलेज, चिडावा | झुन्झुनू |
| | | रेंजर | श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री भवानी निकेतन कन्या महाविद्यालय, जयपुर | जयपुर |
| 3 | सर्वश्रेष्ठ अनुशासित मण्डल | | उदयपुर मण्डल | उदयपुर मण्डल |
| 4 | सर्वश्रेष्ठ कार्य | | सड़क सुरक्षा रैली, जोधपुर मण्डल | जोधपुर मण्डल |
| **सर्वश्रेष्ठ सक्रिय महाविद्यालय** | | | | |
| 5 | सांस्कृतिक कार्यक्रम | रोवर | रूपजी कृपा महाविद्यालय, बेगू | चित्तौडगढ़, उदयपुर |
| | | रेंजर | हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाडा | बांसवाडा, उदयपुर |
| 6 | पोस्टर प्रतियोगिता | रोवर | जानू भाई रोवर क्रू, डबोक | उदयपुर |
| | | रेंजर | परिष्कार कॉलेज, मानसरोवर, जयपुर | जयपुर |
| 7 | निबन्ध प्रतियोगिता | रोवर | रा. पी.जी. महाविद्यालय, झालावाड | झालावाड, कोटा |
| | | रेंजर | कन्या महाविद्यालय, निवाई<br>डी.आर.जे. कॉलेज, बालोतरा | टोंक, अजमेर<br>बाडमेर, जोधपुर |
| 8 | साहसिक गतिविधियां | रोवर | राजकीय महाविद्यालय, बूंदी | बूंदी, कोटा |
| | | रेंजर | कानोडिया पी.जी. कॉलेज, जयपुर | जयपुर, जयपुर |
| 9 | सर्वश्रेष्ठ सहभागिता | रोवर | अंकित शर्मा, एस.के. रा. महाविद्यालय, सीकर | सीकर, जयपुर |
| | | रेंजर | लक्ष्मी शर्मा, राजकीय महाविद्यालय, करौली | करौली, भरतपुर |
| 10 | सर्वश्रेष्ठ सर्विस रोवर/रेंजर | रोवर | नरेश कुमार बैरवा, महाराणा प्रताप ओपन क्रू, जयपुर | जयपुर, जयपुर |
| | | रेंजर | सुश्री उर्वशी विजयवर्गीय, सुरभी ओपन रेंजर टीम, चित्तौडगढ़ | चित्तौडगढ़, उदयपुर |

## राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

*http://www.rajhga.com*

### केन्द्र प्रवर्तित योजना

भारत सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद सन् 1968 में उच्च शिक्षा के माध्यम परिवर्तन पर बल दिया था। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों का लेखन, प्रकाशन एवं विपणन किया जाना था। इसके लिए हिन्दी प्रदेशों में ग्रन्थ अकादमियों एवं हिन्दीतर प्रदेशों में पाठ्य पुस्तक–निर्माण मण्डलों का गठन किया गया था। सन् 1969 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना हुई।

### उद्देश्य

अपनी स्थापना से यह अकादमी हिन्दी माध्यम में उच्चशिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, तकनीकी, मानविकी, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा आदि विषयों की पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाती है। इस पाठ्य सामग्री में पाठ्य पुस्तकें हैं तो सन्दर्भ ग्रन्थ भी हैं।

### उपादेयता

अकादमी 'न लाभ–न हानि' के सिद्धान्त पर पुस्तकें प्रकाशित करती है ताकि कम कीमत की इन पुस्तकों को अधिक से अधिक विद्यार्थी खरीद सकें। पुस्तकें विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिखी जाती हैं ताकि गुणवत्ता कायम रहे।

**मौलिक पुस्तकों का वर्षवार प्रकाशन**

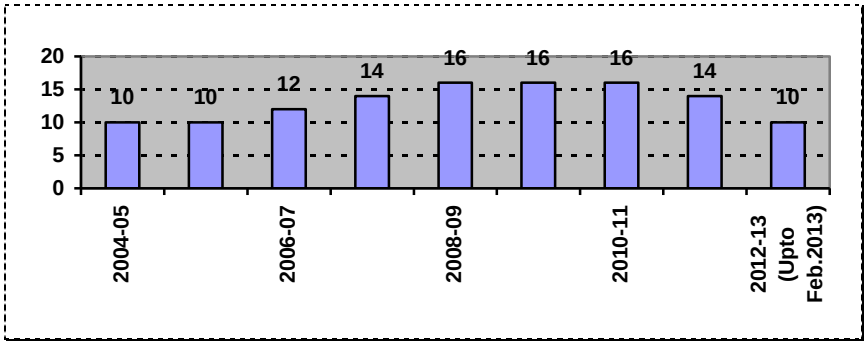


फरवरी, 2013 तक अकादमी ने विज्ञान, तकनीकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा आदि विषयों की 570 मौलिक एवं 89 अनूदित पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

### परिष्कृत पुस्तकों का पुनर्मुद्रण

विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार नयी पाठ्यपुस्तकों के लेखन एवं प्रकाशन के साथ पूर्व प्रकाशित पुस्तकों में संशोधन का कार्य अनवरत चलता रहता है। पुस्तक के पुनर्मुद्रण से पूर्व लेखकों से विषय, भाषा एवं प्रस्तुति के सन्दर्भ में अपेक्षित संशोधन करवाये जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु स्तरीय सामग्री उपलब्ध हो सके। वित्तीय वर्ष 2012–13 में फरवरी, 2013 तक 62 संस्करण प्रकाशित किये जा चुके हैं।

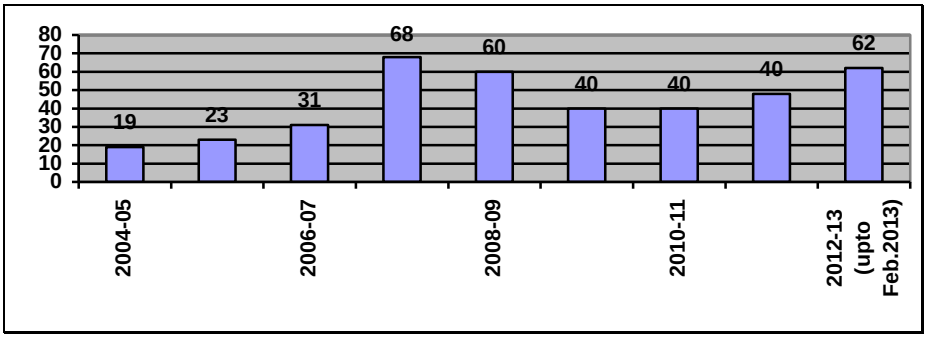

**बिक्री में बढ़ोत्तरी**

अकादमी ने बिक्री का अपना तंत्र विकसित कर लिया है जिससे सभी हिन्दी प्रदेशों में अकादमी की पुस्तकें बिक रही हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 (फरवरी, 2013 तक) में कुल रु. 94,70,447 की बिक्री की गई है।

**वर्षवार कुल बिक्री (लाख रुपये में)**

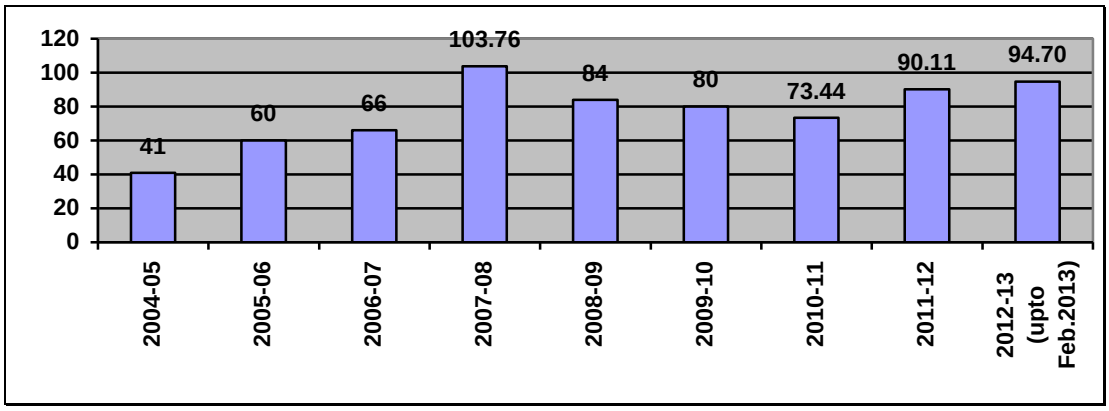


**विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में अनुशंसित पुस्तकें**

राजस्थान के विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में अकादमी की 100 से अधिक पुस्तकें अनुशंसित हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं दिल्ली सहित हिन्दी भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी अकादमी की अनेक पुस्तकें अनुशंसित हैं।

**पुस्तक मेले एवं प्रदर्शनियाँ**

वर्ष 2012–13 में दिनांक 8.10.12 से 14.10.12 तक नेशनल बुक ट्रस्ट एवं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन अम्बेडकर सर्किल, जयपुर में किया गया। दिनांक 18.10.12 से 19.10.12 तक केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय स्थित अध्ययन केन्द्र में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर, 2012 तथा दिनांक 31.1.13 से 2.2.13 तक हरिश्चन्द्र माथुर, राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

**राजस्थान पुस्तक पर्व**

24 से 26 नवम्बर, 2012 की अवधि में राजस्थान पुस्तक पर्व का आयोजन अकादमी परिसर में सम्पन्न हुआ। तीन दिन के इस भव्य आयोजन में छः विषयों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई तथा साहित्य, कला, समाज, संस्कृति एवं शिक्षा के विभिन्न विषयों पर केन्द्रित 32 सत्रों में 192 विषय–विशेषज्ञों, साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जन प्रतिनिधियों ने चर्चाएं की। लगभग 1500 छात्र–छात्राओं और उच्च शिक्षा के लगभग 700 शिक्षकों ने सक्रिय रूप से विभिन्न परिचर्चाओं में भाग लिया।

पर्व के दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं राज्यसभा सदस्य जनार्दन द्विवेदी के विशेष व्याख्यान हुए। इस आयोजन में देश–प्रदेश के 250 से अधिक साहित्यकारों एवं विद्वानों ने भाग लिया।

**सृजनात्मक साहित्य प्रकाशन आवर्ती कोष की स्थापना**

अभी तक अकादमी शैक्षिक पुस्तकों की रचना, बिक्री एवं प्रकाशन का कार्य करती थी। साहित्यिक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अकादमी ने इस वर्ष एक करोड़ रूपये का 'सृजनात्मक साहित्य प्रकाशन आवर्ती कोष' स्थापित किया है। इस मद से सृजनात्मक साहित्य का प्रकाशन एवं विपणन संभव होगा।

**प्रज्ञा पुरस्कार**

15 अक्टूबर, 2012 को प्रतिष्ठित लेखक एवं कलाविद् श्री रत्नाकर विनायक साखलकर को **प्रज्ञा पुरस्कार** से सम्मानित किया गया। अकादमी का यह पुरस्कार **आधुनिक चित्रकला का इतिहास** नामक उनकी पुस्तक के 15 संस्करण प्रकाशित होने के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया। इस सम्मान में राशि रूपये 51 हजार भेंट करने का प्रावधान है।

## विद्यार्थियों एवं संस्थाओं को कम कीमत की अच्छी किताबें

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी विद्यार्थियों को कम से कम कीमत पर मानक पाठ्य पुस्तकें एवं सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध करवाती है। विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पाठकों को सीधी खरीद करने पर पुस्तक मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। संस्थाओं को सीधी खरीद करने पर 20 प्रतिशत की छूट देय है।

## भारत एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान

अकादमी द्वारा करवाये जाने वाले पुस्तक प्रकाशन के कार्यों का शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार के अनुदान से संभव होता है। भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया था जो अकादमी की मांग के अनुसार बजट आधार पर प्रतिवर्ष आगामी पंचवर्षीय योजनाओं तक दिया जाता रहा। वर्ष 1994 की अवधि तक यह रुपये 1.00 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी थी। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त राशि का रिवाल्विंग फंड बनवाया गया था जिससे आगामी संस्करण प्रकाशित कराये जा सकें तथा हिन्दी माध्यम में उच्च शिक्षा पाने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों की मानक पाठ्य पुस्तकों एवं सन्दर्भ ग्रन्थों को हिन्दी में तैयार करवाने के लिए धन की कमी न रहे। 31 मार्च, 2012 तक इस फंड में रुपये 3 करोड़ 52 लाख की राशि उपलब्ध थी।

अकादमी के पास उपलब्ध इस फंड के अलावा पुस्तक प्रकाशन के लिए केन्द्र सरकार प्रति वर्ष अलग से भी अनुदान देती है। वर्ष 2012–13 में रु. 25.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। जिसके पेटे फरवरी, 2013 तक रूपये 20.00 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है।

## राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि (लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनामद में रुपये 21.00 लाख एवं गैर योजनामद में 94.10 लाख का अनुदान स्वीकृत हुआ है जिसके पेटे फरवरी, 2013 तक योजना मद में रूपये 10.125 लाख तथा गैर योजना मद में रुपये 87.50 लाख प्राप्त हो चुके हैं।

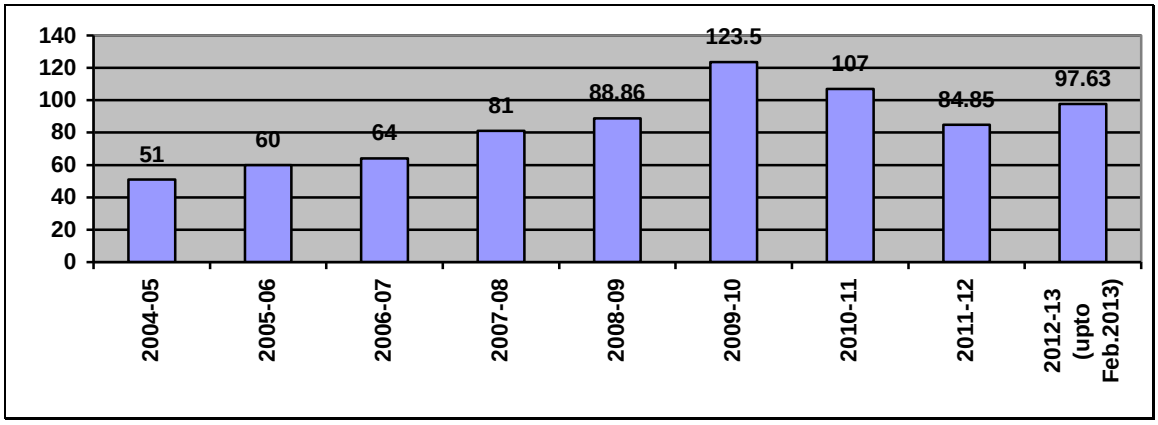


## रायल्टी का ऑनलाइन लेखा / देश का एकमात्र प्रकाशन गृह

लेखन पारिश्रमिक स्वरूप अकादमी अपने लेखकों को 20 प्रतिशत रॉयल्टी प्रदान करती है। यह हर्ष का विषय है कि रायल्टी के सही–सही भुगतान के संदर्भ में अकादमी ने लेखकों का विश्वास अर्जित किया है।

वर्ष 2005–06 से पारदर्शिता एवं लेखकों की सुविधा के लिए रायल्टी का प्रतिदिन का लेखा अकादमी की वेबसाइट पर रखने का प्रावधान किया गया। अब अकादमी के लेखक जब चाहें, अपनी पुस्तक की बिक्री व रायल्टी का लेखा घर बैठे देख सकते हैं। इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला यह देश का एकमात्र संस्थान है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में रूपये 12,01,954/– रायल्टी के रूप में लेखकों को दिये गये।

## कम्प्यूटरीकरण/वेबसाइट

अकादमी ने नयी पहल करके अपने कामकाज को अद्यतन बनाया है। विभिन्न शाखाओं के काम को लगभग कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार अपने कामकाज, प्रकाशन एवं बिक्री की दृष्टि से अकादमी उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है।

इन्टरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए अकादमी की वेबसाइट www.rajhga.com पर प्रकाशन सूची, लेखकों के लिए दिशा–निर्देश, बिक्री के नियम के अलावा अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं। पिछले 9 वर्ष से यह वेबसाइट बराबर इन्टरनेट पर है और इसको आदिनांक रखा जाता है।

# राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

| | |
|---|---|
| स्थापना वर्ष | 1947 |
| NAAC Grade (year) | (A+ 2004 to 2009) |
| संघटक महाविद्यालय | 6 |
| संबद्ध महाविद्यालय | 992 (786 सा.शि.≠) |

| | |
|---|---|
| वेबसाइट | http://uniraj.ernet.in/ |
| कार्य क्षेत्र के जिले | जयपुर डिवीज़न–जयपुर दौसा, सीकर, झुन्झुनूं, अलवर भरतपुर डिवीज़न – भरतपुर व धौलपुर |

**संक्षिप्त इतिहासः**

राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान राज्य का सबसे पुराना व प्रतिष्ठित शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी, 1947 में **''राजपूताना विश्वविद्यालय''** के रूप में हुई थी। वर्ष 1956 में राजपूताना विश्वविद्यालय के स्थान पर इसका नामकरण राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। उस समय इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान था। सन् 1987 में राज्य में अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुनर्गठन के साथ इसके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया।

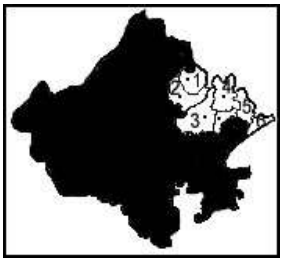

यह विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में वाणिज्य, कला, विज्ञान, विधि, शिक्षा, पत्रकारिता, प्रबन्धन, शारीरिक शिक्षा आदि संकायों में स्नातक से शोध स्तर तक की सुविधायें उपलब्ध हैं। इस विश्वविद्यालय के अनेक छात्र आज देश के वरिष्ठतम प्रशासनिक पदों सहित अनेक शोध संस्थानों के शीर्ष पदों पर अपनी सेवायें दे रहे हैं। इस विश्वविद्यालय को संघ लोक सेवा आयोग ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये सर्वाधिक सफलतम उम्मीदवार देने वाले विश्वविद्यालय के रूप में भी चिन्हित किया है।

**शैक्षणिक वर्ग**

- विश्वविद्यालय में 137 प्रोफेसर, 15 एसोसिएट प्रोफेसर, 246 असिस्टेन्ट प्रोफेसर, 1 रिसर्च एसोसिएट, उप पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यरत हैं।

**अशैक्षणिक वर्ग**

- विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक वर्ग 2087 स्वीकृत पद जिनपर कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 1367 है तथा 720 पद रिक्त हैं।

**विद्यार्थी नामांकन**

- विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु लगभग 4 लाख नॉन–कोलेजिएट विद्यार्थियों सहित 9 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं।
- संघटक महाविद्यालय व स्नातकोत्तर विभागों में नामांकन निम्नानुसार है :–

| महाविद्यालय | विद्यार्थी सं. | महाविद्यालय | विद्यार्थी सं. |
|---|---|---|---|
| महाराजा कॉलेज, जयपुर | 2143 | महारानी कॉलेज, जयपुर | 7078 |
| कॉमर्स कॉलेज, जयपुर | 4840 | राजस्थान कॉलेज, जयपुर | 4165 |
| लॉ कॉलेज, जयपुर | 2561 | स्नातकोत्तर विभाग | 4187 |

(≠ परिशिष्ट–2 के अनुसार)

## संचालित संकाय एवं विषयों का विवरण

- विश्वविद्यालय में 37 स्नातकोत्तर विभाग, 18 शोध केन्द्र एवं 7 जिलों में फैले हुए कुल 992 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं।
- राजस्थान विश्वविद्यालय 41 कार्यक्रमों में पीएच.डी. 24 विषयों में एम.फिल, 54 विषयों में स्नातकोत्तर एवं 17 विषयों में स्नातक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराता है।
- इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में 21 स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 11 प्रमाण पत्र व 14 एड ऑन (वोकेशनल) पाठ्यक्रम भी संचालित हैं।
- विश्वविद्यालय में सेन्टर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलोजीज़ विभाग स्थापित किया गया है। इस केन्द्र में अत्याधुनिक तकनीकों पर पाँच वर्षीय इन्टीग्रेटेड एम.एस.सी. पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा रहा है।

## विशेष उपलब्धियां :–

- राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सी.जी.पी.ए. ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर दी गई है।
- गत पांच वर्षों में 500 पुस्तकें व 2400 शोध पत्र रेफ्रीड शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एच फैक्टर ऑकलन के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रकाशनों के लिए तेहरवां स्थान प्राप्त हुआ है जिसके कारण विभाग को प्रतिष्ठित पर्स कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
- विभिन्न संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग से अनेक महत्वपूर्ण शोध कार्यों में सहभागिता की गई है जैसे– जिनेवा में हैड्रोन कोलाईडर, रूस में नाभिकीय रिएक्टर, इटली व शिकांगो में सिंक्रोटोन विकीरण स्रोत, न्यूयार्क में नैनो पार्टीकल आधारित ड्रग डिलीवरी आदि।

## जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

| | |
|---|---|
| स्थापना वर्ष | 1962 |
| संघटक महाविद्यालय | 2 |
| संबद्ध महाविद्यालय | 100 (सा.शि.[≠]) |

| | |
|---|---|
| वेबसाइट | http://www.jnvu.edu.in/ |
| NAAC Grade (year) | (A 2003 to 2008) |
| कार्य क्षेत्र | बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली एवं जोधपुर |

**संक्षिप्त इतिहास**

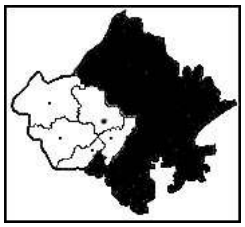

- जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (पूर्व जोधपुर विश्वविद्यालय) की स्थापना 1962 में जसवन्त कॉलेज, एस.एम.के. कॉलेज तथा एम.बी.एम. अभियांत्रिकी कॉलेज को शामिल कर जोधपुर नगर की सीमा के अन्तर्गत हुई थी।
- सत्र 2012–13 से राज्य सरकार द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार में सम्पूर्ण जोधपुर जिले, पाली, जालौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर शामिल किये गये हैं अतः इन जिलों के सभी महाविद्यालय जो पूर्व में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से सम्बद्ध थे, अब इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गये हैं।
- इस बहुसंकाय विश्वविद्यालय में कला, वाणिज्य, शिक्षा, अभियांत्रिकी, विधि तथा विज्ञान संकाय उपलब्ध हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए सायंकालीन अध्ययन संस्थान की स्थापना की गई है।
- विश्वविद्यालय के 2 संघटक महाविद्यालय हैं तथा 100 सामान्य शिक्षा के तथा 37 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी इससे सम्बद्ध हैं।
- विश्वविद्यालय के कला व शिक्षा संकाय में 14, अभियांत्रिकी संकाय में 10, वाणिज्य संकाय में 4, विधि संकाय में एक तथा विज्ञान संकाय में 7 विभाग हैं। केन्द्रीय पुस्तकालय नये परिसर में स्थित है तथा सभी संकायों में पुस्तकालय की शाखाएं भी हैं।
- विश्वविद्यालय में सामान्य संकायों के 4 तथा अभियांत्रिकी संकाय के 10 छात्रावास उपलब्ध हैं। इनके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर व अभियांत्रिकी छात्राओं के लिए भी एक–एक छात्रावास हैं। एक छात्रावास कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में तथा दूसरा अभियांत्रिकी संकाय में निर्माणाधीन है। विश्वविद्यालय में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए भी एक छात्रावास है। इन छात्रावासों में लगभग 1500 विद्यार्थियों के लिए आवास व्यवस्था है। राज्य सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत एस.टी. महिला छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- विश्वविद्यालय में प्रिन्टिंग प्रेस, अतिथि–गृह, कम्प्यूटर सेन्टर, चिकित्सा केन्द्र, इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर, एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज, एज्यूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर, भवन निर्माण कक्ष, खेलकूद मण्डल, प्रोक्टर बोर्ड, छात्र सेवा मण्डल तथा ई.डी.सी. भी स्थित है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1985 में ऑडियोविजुअल रिसर्च सेन्टर की स्थापना की गई जिसे सितम्बर, 2004 में एज्यूकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर (ई. एम. आर. सी.) के रूप में क्रमोन्नत किया गया। यह केन्द्र अब तक कई बार उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। वर्ष 2010–11 में इसे केन्द्र प्रायोजित **'सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन'** के तहत वाणिज्य स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए ई–कन्टेन्ट बनाने का दायित्व दिया गया। केन्द्र द्वारा 219 शैक्षणिक टी.वी. फिल्में तथा 213 ई–कन्टेन्ट तैयार किए गये हैं तथा कुछ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरुस्कृत किया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को बारहवीं योजना में संकलित योजना के अन्तर्गत एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., अल्प संख्यक (नॉन क्रिमीलेयर) की कोचिंग हेतु 30 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(≠ परिशिष्ट–2 के अनुसार)

- **जनशक्तिः शैक्षणिक पद**

| क्र. स. | संकाय | स्वीकृत | | | कार्यरत | | | रिक्त | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रोफेसर | रीडर | लेक्चरर | प्रोफेसर | रीडर | लेक्चरर | प्रोफेसर | रीडर | लेक्चरर |
| 1 | कला | 13 | 35 | 145 | 0 | 3 | 67 | 13 | 32 | 78 |
| 2 | विधि | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | वाणिज्य | 4 | 12 | 59 | 0 | 2 | 40 | 4 | 10 | 19 |
| 4 | विज्ञान | 8 | 25 | 131 | 0 | 6 | 83 | 8 | 19 | 48 |
| 5 | अभियांत्रिकी | 24 | 44 | 105 | 5 | 61 | 65 | 24 | 39 | 44 |
| 6 | अन्य | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| | **योग** | **54** | **122** | **482** | **5** | **72** | **268** | **54** | **106** | **218** |

**जनशक्तिः अशैक्षणिक पद**

| स्वीकृत पद | | | रिक्त पद | | |
|---|---|---|---|---|---|
| आयोजना | आयोजना भिन्न | कुल | आयोजना | आयोजना भिन्न | कुल |
| 0 | 938 | 938 | 0 | 218 | 218 |

**विश्वविद्यालय के विभागों में विद्यार्थी नामांकन शैक्षिक सत्र 2012–13**

| | एस सी | | एस टी | | ओ बी सी | | अल्प संख्यक | | सामान्य | | योग | | महायोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | |
| **स्नातक** | 1621 | 723 | 346 | 155 | 4756 | 2077 | 172 | 200 | 3439 | 2630 | 10334 | 5785 | **16119** |
| **स्नातकोत्तर** | 293 | 175 | 47 | 25 | 520 | 503 | 32 | 14 | 552 | 646 | 1444 | 1363 | **2807** |
| **महायोग** | 1914 | 898 | 393 | 180 | 5276 | 2580 | 204 | 214 | 3991 | 3276 | 11778 | 7148 | **18926** |

विश्वविद्यालयों के संघटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का नामांकन सत्र 2012–13

| एस सी | | एस टी | | ओ बी सी | | अल्प संख्यक | | सामान्य | | योग | | महायोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | |
| 532 | 612 | 147 | 94 | 2131 | 2458 | 179 | 281 | 1456 | 2993 | 4445 | 6438 | **10883** |

**बजट 2012–13 (रुपये लाखों में)**

| आयोजना | आयोजना भिन्न |
|---|---|
| – | 12977.55 |

**वित्तीय वर्ष 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां**

- विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग काउन्सिल फॉर साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रीयल रिसर्च, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा डिपार्टमेन्ट ऑफ बायोटेक्नोलोजी तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 75 प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है।
- विश्वविद्यालय ने सत्र 2011–12 से प्रवेश एवं परीक्षा के आवेदन फार्म ऑन लाईन भरवाना प्रारम्भ कर दिया है।
- विश्वविद्यालय द्वारा 6 राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार / कान्फ्रेंस जनवरी 2013 तक आयोजित किये हैं तथा 12 अन्य सेमीनार / कान्फ्रेंस 31 मार्च, 2013 तक आयोजित करने की योजना है।
- विश्वविद्यालय के 8 शिक्षकों ने अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल ग्रान्ट का उपयोग किया।
- विश्वविद्यालय द्वारा वेस्ट जोन इन्टर यूनिवर्सिटी हैण्ड बॉल (महिला एवं पुरुष) टूर्नामेन्ट 11 से 16 फरवरी, 2013 को आयोजित करवाई।

## मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

| | |
|---|---|
| स्थापना वर्ष | 1964 |
| NAAC Grade (year) | (B++ 2002 to 2007) |
| संघटक महाविद्यालय | 5 |
| संबद्ध महाविद्यालय | 210 (146 सा.शि.≠) |

| | |
|---|---|
| वेबसाइट | http://www.mlsu.org/ |
| सम्पर्क सूत्र | Tel: 0294-2470166 Fax:2470707 |
| कार्य क्षेत्र के जिले | उदयपुर डिवीज़न–बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमन्द, प्रतापगढ़ व उदयपुर<br>जोधपुर डिवीज़न– सिरोही |

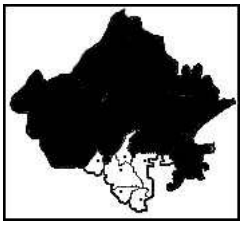

- संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना, मार्गदर्शन करना एवं शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान करना है।
- वर्तमान में 146 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।
- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संघटक महाविद्यालय हैं:–
  - विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर
  - सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर
  - वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय, उदयपुर
  - विधि महाविद्यालय, उदयपुर
  - प्रबन्ध अध्ययन संकाय, उदयपुर

- विश्वविद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंध अध्ययन, विधि एवं शिक्षा संकाय संचालित किये जा रहे हैं।
- विश्वविद्यालय में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भू–विज्ञान, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जैन तकनीकी, लेख एवं साख्यिकी, व्यावसायिक प्रशासन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र, प्रबंध, अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, संगीत, सिन्धी, भूगोल, राजस्थानी, दर्शनशास्त्र, महिला अध्ययन, राजनीति विज्ञान, उर्दू, चित्रकला, जनसंख्या अध्ययन, मनोविज्ञान, प्राकृत, इतिहास, लोकप्रशासन, हिन्दी, समाज शास्त्र, अंग्रेजी, ह्यूमन राईट्स विषय उपलब्ध हैं जिन पर स्नातक से पीएच.डी. तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

- विश्वविद्यालय के विभागों एवं संघटक महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों का नामांकन शैक्षणिक सत्र 2012–13 में निम्नानुसार रहा:–

| संकाय | सामान्य | | एस सी | | एस टी | | ओ बी सी | | अल्प संख्यक | | योग | | महा योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | |
| स्नातक | 1269 | 717 | 539 | 145 | 655 | 114 | 1064 | 326 | 66 | 17 | 3471 | 1268 | **4739** |
| स्नातकोत्तर | 547 | 576 | 249 | 81 | 201 | 66 | 404 | 196 | 26 | 23 | 1441 | 908 | **2349** |
| डिप्लोमा / प्रमाण पत्र | 89 | 27 | 17 | 02 | 10 | 03 | 34 | 09 | 04 | 02 | 154 | 42 | **196** |
| **महा योग** | **1905** | **1320** | **805** | **228** | **866** | **183** | **1502** | **531** | **96** | **42** | **5066** | **2218** | **7284** |

(≠ परिशिष्ट–2 के अनुसार)

## आय–व्ययक अनुमान 2012–13 (राशि लाख रु में)

| आय–राज्य सरकार | आय–अन्य स्रोत (शुल्क आदि) | व्यय |
|---|---|---|
| 2100.00 | 1996.02 | 4869.83 |

## वित्तीय वर्ष 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- समाज शास्त्र विभाग द्वारा 'पर्सपेक्टिव्स इन कल्चर, सोसाइटी एण्ड जेन्डर इन सब आल्टर्न कम्यूनिटीज इन साउथ ऐशिया' विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा 'कम्टेपोरेरी इण्डियन सोसाईटी– चेलेन्जेज एण्ड रेसपोन्सेस' विषय पर कान्फ्रेन्स आयोजित की गई।
- समाज शास्त्र विभाग द्वारा ही 'वीमन एम्पावरमेन्ट इमर्जिंग परसेप्शन्स ऑन स्टेटस एण्ड रोल' विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स आयाजित की गई।
- वर्ष 2012–13 में निम्नांकित निर्माण कार्य पूर्ण किए गए –

| क्र. सं | योजना का नाम | लागत (लाख रु में) |
|---|---|---|
| 1 | जन जाति बालक छात्रावास का निर्माण कार्य | 188.00 |
| 2 | एप्रोच रोड | 85.00 |
| 3 | स्नातक महिला छात्रावास के प्रथम तल का निर्माण कार्य | 82.60 |
| 4 | स्नातकोत्तर महिला छात्रावास प्रथम तल का निर्माण कार्य | 64.78 |
| 5 | वाणिज्य भवन का विस्तार कार्य | 60.69 |
| 6 | रसायन शास्त्र विभाग प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण | 5.00 |

- वर्ष 2012–13 में निम्नांकित निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए –

| क्र. सं | योजना का नाम | लागत (लाख रु में) |
|---|---|---|
| 1 | विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय छात्रावास निर्माण कार्य | 202.60 |
| 2 | नव परिसर में बैंक बिल्डिंग का निर्माण कार्य | 40.00 |
| 3 | स्वर्ण जयन्ती हॉल का निर्माण कार्य | 20.00 |
| 4 | प्रशासनिक भवन में परीक्षा एवं गापनीय शाखा का विस्तार कार्य | 19.00 |

## भावी योजनाएँ

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में वाणिज्य भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का निर्माण, स्किल डवलेपमेन्ट सेंटर, बोटनीकल गार्डन, सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक व मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स आदि के निर्माण कार्य करवाने की योजना है जिस पर 16.20 करोड रुपए की लागत आने का अनुमान है।

# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

| | |
|---|---|
| स्थापना वर्ष | 1987 |
| NAAC Grade | (B++ 2004 to 2009) |
| संघटक महाविद्यालय | 0 |
| संबद्धक महाविद्यालय | 230 (154 सा.शि $^{\neq}$ ) |

| | |
|---|---|
| वेबसाइट | http://www.mdsuajmer.ac.in/ |
| कार्य क्षेत्र के जिले | अजमेर डिवीज़न–अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर व टोंक |

**संक्षिप्त इतिहास**

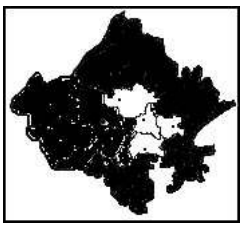

- अजमेर विश्वविद्यालय की स्थापना विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा एक अगस्त 1987 को हुई तथा 5 मई 1992 को इसका नामकरण महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर कर दिया गया। विश्वविद्यालय का यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत धारा 12(बी) में 1993 में पंजीयन हुआ।
- वर्तमान में 154 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।
- विश्वविद्यालय में 21 शैक्षणिक विभाग एवं केन्द्र हैं। 30 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम, 46 स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम, एवं 14 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। विभागों में 17 एम. फिल पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा विश्वविद्यालय में पीएच.डी. हेतु शोध सुविधा है।
- विश्वविद्यालय में 20 शैक्षणिक व 303 अशैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

**वर्ष 2012–13 की उपलब्धियाँः–**

- महामहिम कुलाधिपति द्वारा धनवन्तरी आरोग्य भवन–स्वास्थ्य केन्द्र तथा चरक भवन–पर्यावरण विज्ञान भवन का लोकार्पण किया गया।
- रजत जयन्ती वर्ष–2012 में ''**भारतीय समाज पर सूफीवाद का प्रभाव**'' तथा ''**आधुनिक परिवेश में स्वामी विवेकानन्द के विचार एवं युवा वर्ग**'' विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया।
- लम्बे अन्तराल के उपरान्त मैरिट छात्रवृत्तियों का वितरण प्रारम्भ किया गया।
- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कक्षाएं प्रारम्भ की गईं।
- केफेटेरिया भवन का लोकार्पण किया गया तथा बणी–ठणी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सामूहिक बीमा करवाया गया।
- विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र ऑन लाईन भरवाये गये तथा परीक्षा के प्रवेश पत्र भी ऑन लाइन वितरित किये गये। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृतियों का भुगतान भी ऑन लाईन किया गया।

**वर्ष 2013–14 की भावी योजनाएं :–**

- विश्वविद्यालय परिसर में वन विभाग के सौजन्य से वानस्पतिक उद्यान (अर्बोरिटम) का विकास करना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से स्कूल ऑफ राजस्थान स्टडीज की स्थापना करना।

**आय–व्ययक अनुमान 2012–13 (राशि लाख रु में)**

| आय–आयोजना भिन्न | आय– आयोजना | व्यय |
|---|---|---|
| 3266.02 | 300.00 | 4988.01 |

($\neq$ परिशिष्ट–2 के अनुसार)

# कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

| | |
|---|---|
| स्थापना वर्ष | 2003 |
| संघटक महाविद्यालय | 0 |
| संबद्धक महाविद्यालय | 163 (112 सा.शि.) |

| | |
|---|---|
| वेबसाइट | http://www.uok.ac.in/ |
| कार्य क्षेत्र के जिले | कोटा डिवीज़न – कोटा, बारां, बून्दी व झालावाड़<br>भरतपुर डिवीज़न – सवाई माधोपुर व करौली |

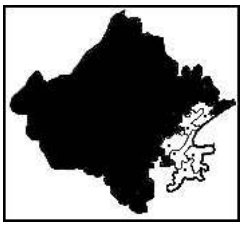

## संक्षिप्त इतिहास

- कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 2003 में हुई। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोटा सम्भाग के 37 महाविद्यालय स्थानान्तरित किये गये।
- वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से कोटा व भरतपुर प्रशासनिक संभाग के 6 जिलों, कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां, करौली व सवाईमाधोपुर, के 163 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।
- यह विश्वविद्यालय वर्तमान में नवनिर्मित तीन भवनों में संचालित हो रहा है। कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक खण्ड/कार्यालय एवं परीक्षा व गोपनीय शाखा एम.बी.एस. रोड, कबीर सर्कल पर स्थित हैं। प्रशासनिक भवन में एम.बी.ए. व एम.एस.डब्ल्यू. की कक्षाएं संचालित होती हैं। ई.एस.आई. अस्पताल परिसर, झालावाड़ रोड स्थित भवन में स्नातकोत्तर व एम. फिल. की कक्षाएं भी संचालित होती हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग डाइट भवन, रावतभाटा रोड पर संचालित है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवम्बर 2012 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट के अन्तर्गत 12बी का दर्जा प्राप्त हुआ।
- विश्वविद्यालय में 170 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 34 शैक्षणिक तथा 136 अशैक्षणिक हैं।
- शैक्षणिक संवर्ग के 30 पदों पर तथा अशैक्षणिक पदों में से 37 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।
- विश्वविद्यालय में कला, विधि, प्रबन्ध, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि विषयों में स्नातकोत्तर स्तर के कुल 12 पाठ्यक्रम संचालित हैं। वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, रसायन शास्त्र व राजनीतिशास्त्र पर एम. फिल. तथा विधि, रसायनशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य व प्रबन्धन में पीएच.डी. पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
- विश्वविद्यालय के विभागों में वर्ष 2012–13 में विद्यार्थी नामांकनः–

| क्र.सं | स्तर | नियमित पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 1 | स्नातकोत्तर | 632 |
| 2 | एम.फिल. | 48 |
| | **योग** | **680** |

(≠ परिशिष्ट–2 के अनुसार)

## वित्तीय वर्ष 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- विश्वविद्यालय ने सत्र 2012–13 से परीक्षा के आवेदन फार्म ऑन लाईन भरवाये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 40 परीक्षा केन्द्रों में 150 से अधिक प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 1.50 लाख परीक्षार्थी उपस्थित हुए।
- समाज विज्ञान विभाग द्वारा 'महिला सशक्तिकरण : भारत में दशा व दिशा' विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान आयोजित किया गया जिसमें माननीया सांसद गिरिजा व्यास द्वारा प्रमुख व्याख्यान दिया गया।
- विश्वविद्यालय में 2 एकेडमिक ब्लॉक, गेस्ट हाउस व कुलपति निवास का कार्य प्रगति पर है।
- भौतिक शास्त्र विभाग द्वारा 'एनर्जी मीट – 2012' का आयोजन किया गया।
- अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों ने 5000 मीटर एवं 10000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक तथा बाक्सिंग की 81 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया।
- विश्वविद्यालय के कैम्पस को 'वाई–फाई' किया गया।

**बजट 2012–13 (राशि लाख रु में)**

| बजट– आयोजना भिन्न | बजट– आयोजना |
|---|---|
| 275.00 | 100.00 |

## भावी योजनाएं

- आगामी शक्षैणिक सत्र से समस्त विभागों में सेमेस्टर स्कीम लागू की जा रही है।
- विश्वविद्यालय परिसर में खेल संकुल का विकास किया जाना है।
- विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने तथा आधारभूत साधनों के विकास की योजना है।